Haryana Vidhan Sabha

Debates

27th, February, 1970

(Morning sitting)

Vol. I - No. II

OFFICE REPORT

Contents

Friday, the 27 February, 1970 (Morning sitting)

	Pages
Supplementaries to Starred Question No. 595	(11)1
Starred Questions and Answers	(11)3
Written Answers to Starred Questions laid on the Table under Rule 45	(11)28
Questions of Privilege-	
(i) Regarding the alleged arrest of two persons whom the House had pardoned for throwing leaflets in the Vidhan Sabha from the Visitor's Gallery on 25th February, 1970	(11)32
(ii) Regarding the alleged posing of C.I.D. people by Government in the New M.L.A.'s Hostel, Vidhan Bhawan etc.	(11)32
(iii) Regarding the alleged arrest of a C.I.D. person caught red handed in attempting to steal certain confidential and important papers from the room of Chaudhri Jai Singh Rathi, M.L.A.	(11)33
Call Attention Notices	(11)33
Discussion on Demands for grants for the year 1970-71	(11)34
Voting on Demands for grants for the year 1970-71	(11)73
Appendix	i-xviii

HARYANA VIDHAN SABHA

Friday, the 27th February, 1970 (Morning sitting)

The Vidhan Sabha met in the Hall of the Haryana Vidhan Sabha, Vidhan Bhawan, Sector-1, Chandigarh at 9:30 A.M. of the Clock Mr. Speaker (Brig. Ram Singh) in the Chair.

SUPPLEMENTARIES TO *STARRED QUESTION NO. 595

Mr. Speaker: Hon. Members, the Question Hour. Major Amir Singh.

मेजर अमीर सिंह चौधरी: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने इकोनोमिक आस्पैक्ट इस बारे में एग्जामिन किया है कि चकुन्दर की उपज शूगरकेन की उपज से अधिक लाभदायक रहेगी?

कृषि तथा श्रम मंत्री (चौधरी रण सिंह): स्पीकर साहब, यह प्रश्न तो कल ही खत्म हो गया था।

Mr. Speaker: I had said that the could ask one or two supplementary questions.

चौधरी रण सिंह: आरनेबल मैम्बर इस सवाल को जो उन्होंने पूछा है फिर से दोहरा देने की कृपा करें।

मेजर अमीर सिंह चौधरीः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने चकुन्दर और शूगरकेन ग्रो करने के इकोनोमिक आस्पैक्ट को एग्जामिन किया है। अगर किया है तो उसकी तफसील क्या है?

(At this stage Shri Ram Saran Chand Mittal, a member of the Panel of Chairman occupied the Chair).

चौधरी रण सिंहः चेयरमैन साहब, एक्सपैरीमेंटस हो रहे है। जैसा कि मैनें कल भी कहा था कि जगाधरी में, करनाल में, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में, इन सब जगहों पर एक्सपैरीमैंटस हो रहे है।

मेजर अमीर सिंह चौधरीः चेयरमैन साहब, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो एक्सपैरीमैंटस किये जा रहे है उनसे किस नतीजे पर पहुंचे है कि चकुन्दर की उपज गन्ने की उपज से फायदेमन्द है?

चौधरी रण सिंहः अभी तक तो किसी अन्तिम नतीजे पर नहीं पहुंचे है।

मेजर अमीर सिंह चौधरीः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह जो चकुन्दर की कल्टीवेशन कर रहे हैं यह बगैर किसी हिसाब किताब के कर रहे हैं या कोई निशाना बनाया हुआ है कि उस निशाने पर पहुंचना है।

चौधरी रण सिंहः अभी तो एक्सपैरीमैंटल स्टेज पर ही है। यदि आनरेबल मैम्बर के दिमाग में कोई अच्छा सुझाव है तो हम उस पर विचार कर सकते है।

मेजर अमीर सिंह चौधरीः क्या गवर्नमैंट की कोई योजना है कि चकुन्दर की कल्टीवेशन को बढाया जाये ताकि यह गन्ने की जगह ले ले?

चौधरी रण सिंहः एक्सपैरीमैन्टस के बाद के कन्टेन्टस यदि इकोनोमिकल और यूजफूल रहेंगे तो पैदावार बढाने पर विचार किया जाएगा।

मेजर अमीर सिंह चौधरीः जो एक्सपैरीमेंट किये जा रहे है या जो भी रिसर्च की जा रही है उससे किसी नतीजे पर अभी तक पहुंच पाये हैं?

चौधरी रण सिंहः अभी तो एक्सपैरीमेंटस किये जा रहे है।

श्री चेयरमैनः मेजर साहब, जब तक एक्सपैरीमेंटस पूरे नहीं हो जायेंगे तब तक कोई अफसर कैसे बता सकता है कि आगे कैसे क्या करेंगे।

मेजर अमीर सिंह चौधरीः चेयरमैन साहब, इन्होंने कल परसैन्टेज भी बतायी है कि शूगर कन्टेन्ट गन्ने के मुकाबले में

इतनी है और इकोनोमिक आस्पैक्ट से गन्ने के मुकाबले में कीमती है तो फिर क्या इन को और बातों के बारे में मालूम नहीं होगा?

श्री चेयरमैनः यदि आपके पास कोई इन्फर्मेशन हो तो बता दीजिए वरना मिनिस्टर साहब से मिल लीजिए। जब हरके आदमी का इसमें इन्ट्रैस्ट है तो इस पर विचार अवश्य होना चाहिये।

मेजर अमीर सिंह चौधरीः चेयरमैन साहब, दूसरा सूबा पंजाब जो हमारे पास ही है बडी एडवान्स स्टेज पर है और हमारे से बहुत आगे है तो हमें भी विचार करना चाहिए।

Mr. Speaker: He has not got the papers with him today because he was under the impression that the question had ended yesterday.

मेजर अमीर सिंह चौधरीः यदि आनरेबल मिनिस्टर साहब के पास कागज नहीं है या वे तैयार होकर नहीं आये हैं तो इस सवाल को कल के लिये पोस्टपोन कर दीजिए।

श्री चेयरमैनः यह इजाजत तो स्पीकर साहब ही दे सकते हैं।

मेजर अमीर सिंह चौधरीः इस समय तो चेयर पर आप बैठे हुए है। आप को भी उतने ही अधिकार है।

चौधरी रण सिंहः मैं आनरेबल मैम्बर से रिक्वैस्ट करूंगा कि यदि उनके दिमाग में कोई अच्छा सुझाव है तो वे अपना सुझाव बता दें। हम उस पर विचार कर लेगें।

Shri Fateh Chand Vij: Supplementary, Sir.

Mr. Chairman: No further supplementaries please.

Now we take up the regular list of questions for today, the 27th February, 1970. Major Amir Singh Chaudhry.

Starred Questions and Answers

Percentage of Employees in Bhakra and Beas Projects.

***583. Major Amir Singh Chaudhry:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) Whether Haryana State is maintaining any percentage of employees on the Bhakra and Beas Irrigation and Power Projects; if so, the figures of specific percentage in each case, together with class-wise number of Haryana employees working thereon (separately);

(b) number, if any, out of (a) above (class-wise) who have completed three years of projects service, together with the reasons, for not replacing them with such hands as have no experience of work at any of the said projects?

Irrigation and Power Minister (Shri K.L. Poswal): (a) (i) No specific percentage is prescribed in respect of posting of employees of Haryana State on Bhakra and Beas Projects. The position as on 1st November, 1966 is being maintained.

(ii) Detail of class-wise number of Haryana employees working on the projects is as under:

Class I Officers	50
Class II Officers	174
Clerical	55
Drawing	89
Stenoes	3
Sectional Officers	199
Class IV	9

(b) Out of 50 class I Officers and 174 Class II Officers, 41 Class I Officer and 101 class II Officers respectively have completed more than three years on the projects.

The employees working on the projects are under the Administrative Control of Government of India from 1st November, 1966, and replacement can only be made with concurrences of Project authorities who are averse to such changes.

मेजर अमीर सिंह चौधरी: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वक्त जो इन्होंने नम्बर बताया है उस के हिसाब से हमारी एम्पलाइज की क्या परसैन्टेज बनती है और जो हमारा भाखडा और व्यास का पानी है उसकी क्या परसैन्टेज बनती है?

श्री के0एल0 पोसवालः पानी के लिये तो आनरेबल मैम्बर सैपरेट नोटिस दें तो बतला दिया जायेगा। जहां तक एम्पलाइज का सम्बन्ध है उनकी ईयरवाइज परसैन्टेज कहीं 37 परसैन्ट बनती है कहीं 32 परसेन्ट तो कभी 34 परसैन्ट बनती है।

मेजर अमीर सिंह चौधरीः मंत्री महोदय ने कहा कि पानी के लिये अलग से नोटिस दें। यहां तो कम्पैरीजन का सवाल है। मैंने तो परसैन्टेज पूछी है। क्योंकि इन्होंने अपने जवाब में बताया कि इतने आदमी हैं तो उस से अन्दाजा नहीं लग पायेगा कि आया भाखडा के अन्दर कितने एम्पलाइज की परसैन्टेज होनी चाहिए इस वक्त और अब कितनी है।

श्री चेयरमैनः आपने रेशी और परोपोरशन के बारे में नहीं पूछा है। In the absence of any information or indication in your question that you might be putting up this question, how can he be expected to give the reply about it?

श्री के0एल0 पोसवालः इसमें हरियाणा पंजाब की ही बात नहीं है वहां उस प्रोजैक्ट पर हिमाचल के आफिसर्ज भी है। तो अन्दाजन 60:40 की रेशो में कुछ और ज्यादा भी हो सकता है।

मेजर अमीर सिंह चौधरीः मैं तो मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जो उन्होंने परसैंटेज बतायी है आया यह परसैंटेज बनती भी है या नहीं?

श्री के0एल0 पोसवालः जब से यह भाखडा मैनेजमैंट बना है तब से ही परसैन्टेज कोई नहीं देखी जाती है उस की वजह यह है कि वहां पर यह देखा जाता है कि कम्पीटेन्ट कौन अफसर है। वहां पर एक्सपीरियन्सड हैंड ही रखे जाते है चाहें वह हरियाणा का हो या पंजाब का हो।

मेजर अमीर सिंह चौधरीः चेयरमैन साहब, यह हरियाणा के इन्ट्रैस्ट का सवाल है अगर हमारे एम्पलाइज वहां पर होगें तो हमारे हरियाणा का इन्ट्रैस्ट वाच होता है। मेरा प्रश्न पूछने का मकसद यह भी है कि जिस दिन से पंजाब और हरियाणा की वाइफरकेशन हुई है तब से हमारे एम्लाइज की परसैन्टेज गिरी तो नहीं है?

श्री के0एल0 पोसवालः गिरी नहीं है।

श्री मंगल सैनः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह भाखडा बोर्ड किस प्रकार से कांस्टीच्यूट किया गया है?

श्री के0एल0 पोसवालः वहां पर रेशो कोई मेन्टेन नहीं की गयी है वहां चार स्टेटों के एम्पलाईज काम कर रहे हैं। हरियाणा के, पंजाब के, हिमाचल के और राजस्थान के। सन 1966 से तकरीबन सभी की बराबर की रेशो चली आ रही है।

श्रीमति चन्द्रावतीः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि अगर चारों स्टेटों की कोई रेशो का हिसाब नहीं रखा जाता है तो फिर किस हिसाब से वहां एम्पलाइज रखे जाते हैं?

श्री के0एल0 पोसवालः वहां रेशों का अधिक ध्यान नहीं रखा जाता है जैसे कि सन 1966 में पंजाब के तीन चीफ इंजीनियर थे तो हरियाणा का एक था। सन 1967 में पंजाब के दो चीफ इंजीनियर थे तो हरियाणा का एक था। 1968 में पंजाब का एक था तो हरियाणा के दो चीफ इंजीनियर थे। इस प्रकार से वहां रेशो घट–बढ जाती है।

श्री मंगल सैनः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि आपने कहा कि 1 नवम्बर 1966 से पहले का सिस्टम है जो परसेंटेज है उसके मुताबिक अब तक काम हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि 1 नवम्बर 1966 से पहले क्या प्रैक्टिस थी?

श्री के0एल0 पोसवालः इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं।

श्री मंगल सैनः पहले तो यह कहा जा रहा है कि 1 नवम्बर 1966 से पहले जैसा सिस्टम था वही प्रैक्टिस अब है। चेयरमैन साहब, हाउस को कन्फयूज किया जा रहा है। यह हमारा प्रिविलेज है कि हम यह पूछें। अगर यह इस समय उत्तर देने के लिये तैयार नहीं तो सोमवार को सही।

श्री चेयरमैनः आप कोई इंफर्मेशन देना पसन्द करेंगे?

श्री के0एल0 पोसवालः मैं तो पढकर बता चुका हूं।

श्री मंगल सैनः मेरा सवाल सिर्फ यह है कि 1 नवम्बर 1966 से पहले क्या प्रैक्टिस थी?

श्री के0एल0 पोसवालः मैंने कहा कि जो 1 नवम्बर 1966 से पहले प्रैक्टिस थी वह अब भी चल रही है।

श्री मंगल सैनः 1 नवम्बर 1966 से पहले हमारी क्या परसेंटेज थी?

श्री के0एल0 पोसवालः जैसा कि मैंने पहले सवाल के उत्तर में बताया वही बात अब भी है।

श्री मंगल सैनः इररिस्पांसेबल जवाब के सिलसिले में मेरा प्वायंट आफ आर्डर है, सर।

श्री के0एल0 पोसवालः प्लीज आस्क हिम टू विदड्रा दी वर्ड इररिस्पांसेबल। अगर मैं कुछ कह दूंगा तो चह चिढ जायेंगे।

श्री मंगल सैनः चेयरमैन साहब, आपकी इस मामले में रूलिंग चाहता हूं। एक बात मैं इनसे पूछ रहा था कि सरकार की 1 नवम्बर 1966 से पहले क्या प्रैक्टिस थी क्या मेरा प्रश्न रेलेवेंट नही है?

श्री चेयरमैनः एक सीधी सी बात है कि हरियाणा ही 1 नवम्बर 1966 को बना। इससे पहले हरियाणा और पंजाब का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता।

श्री मंगल सैनः मैं पूछ रहा हूं कि पहले क्या प्रैक्टिस थी और जगह, जैसे हिमाचल प्रदेश, राजस्थान भी तो थे। सीधी सी बात है इन को कहिये कि जवाब दें। मेरी यह सबमीशन है कि he must come with full preparation.

Mr. Chairman: Every Minister must come with full preparation, there is no doubt about it. But as a matter of fact आपके क्वैश्चन में यह ऐसी बात है। मेन क्वैश्चन में हरियाणा और पंजाब की बाबत पूछा गया है लेकिन जब 1 नवम्बर 1966 से पहले हरियाणा था ही नहीं तो क्या जवाब दिया जाये?

श्री मंगल सैनः अजीब बात है इन्होंने पहले जवाब में कहा कि इतनी परसेंटेज पडती है। तो मैं यह पूछा रहा हूं कि 1 नवम्बर 1966 से पहले क्या परसेंटेज थी?

श्री चेयरमैनः इन्होंने बताया कि 1–11–66 को जो प्रैक्टिस थी वही अब चल रही है। 1 नवम्बर 1966 से पहले जब हरियाणा था ही नहीं तो प्रैक्टिस की बात क्या है?

मेजर अमीर सिंह चौधरीः मंत्री महोदय ने बताया कि 101 आदमी है जिनको 3 साल पूरे हो गये है उस जगह पर काम

करते हुए। क्या उन आफीसर्ज की ओर से सरकार के पास कोई रिप्रेजेन्टेशन आया है कि उन को तबदील किया जाए?

श्री के0एल0 पोसवालः उनका रिप्रेजेटेन्शन आया है कुछ को हम ने वापिस बुलाया है। वहां ऐडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल गवर्नमैंट आफ इंडिया का है। हम केवल सुजैशन दे सकते हैं?

मेजर अमीर सिंह चौधरीः क्या सरकारन ने गवर्नमैंट आफ इंडिया को एप्रोच किया है कि इन आफीसरों के तीन साल पूरे कर लिये इन को तबदील किया जाये?

श्री के0एल0 पोसवालः वहां तीन साल की पाबन्दी नहीं है। Try to learn things.

(इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई)

Shri Mangal Sein: You are not our school master that you are going to teach us. We know better than you.

श्री के0एल0 पोसवालः मैं यह अर्ज कर रहा था कि वहां हाइली टैक्नीकल आदमी काम करते हैं। सब की ख्वाहिश होती है कि वहां ऐसे आदमियों को ज्यादा से ज्यादा रखा जाए। जिन लोगों की एक्सपीरियेंस ज्यादा होता है उन को वहां रखने की ख्वाहिश होती है। हमने भारत सरकार से उन लोगों के लिये रिक्वैस्ट की थी।

श्री मंगल सैनः लोगों के वहां रहने की नार्मल प्रैक्टिस क्या है?

श्री के0एल0 पोसवालः इस किस्म की कोई नार्मल प्रैक्टिस नहीं है 10 साल से भी हैं, 5 साल से भी है। बात यह है कि जो ज्यादा ऐफीशियेंट है उन को ज्यादा से ज्यादा रखा जाए।

श्री मंगल सैनः पहले यह बताया है कि तीन साल के एम्पलाई को रखते हैं अब कह रहे हैं कि कोई नार्मल प्रैक्टिस नहीं है।

श्री के0एल0 पोसवालः मैंने नम्बर दिये थे कि जिनको तीन साल हो गये है।

श्रीमति चन्द्रावतीः हाउस का टाइम खराब किया जा रहा है। एक सवाल के ऊपर बहस की जा रही है। अगर यह चलता रहा तो और सवाल कैसे आयेंगे?

उपाध्यक्षाः एक सवाल पर एक घंटा भी इस हाउस में लगता रहा हैं। इस में क्या बात है।

मेजर अमीर सिंह चौधरीः मैंने मंत्री महोदय से पूछा था कि जिन आदमियों को तीन साल हो गये है। उन आदमियों के विषय में गवर्नमैंट आफ इंडिया को लिखा और गवर्नमैंट आफ इंडिया ने कोई ऐतराज किया?

श्री के0एल0 पोसवालः मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आफ इंडिया का है। कई केसिज में रिक्वैस्ट की है। दूसरी बात यह है कि हम उन की हार्डशिप महसूस करते हैं इसलिये हमने यह फैसला किया है कि इनको दो इंक्रीमेंटस ज्यादा दें। यह भी अण्डर कन्सिड्रेशन है कि इन को चीप प्लाटस दे ताकि वे मेहनत से काम करें।

उपाध्यक्षाः इनका कहना यह है कि क्या आने रिक्वैस्ट की है कि यह ज्यादा देर नही रहना चाहते और 3 साल हो गये हैं उस के बावजूद भी क्या उन्होंने नहीं माना?

श्री के0एल0 पोसवालः मैं अर्ज कर चुका हं कि जी हां।

मेजर अमीर सिंह चौधरीः क्या गवर्नमैंट आफ इंडिया ने इन्कार कर दिया है कि उन को रिलिव नहीं किया जा सकता?

श्री के0एल0 पोसवालः कई केसिज में किया गया है।

मेजर अमीर सिंह चौधरीः क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसे भी एम्पलाइज है जिन्होंने तीन साल पूरे कर लिये है और गवर्नमैंट आफ इंडिया को उनके रिलीव करने से कोई एतराज न हो क्या उन के केस गवर्नमैंट आफ इंडिया से टेकअप करके उनको रिलीव करने की कोशिश करेंगे?

श्री के0एल0 पोसवालः जी हां।

Teacher Suspended/Dismissed/Removed

***721. Shri Randhir Singh:** Will the Minister for Health and Development be pleased to state the number of teachers, masters and headmasters and lady teachers, if any, suspended, dismissed or whose services were terminated in the months of September, October, November and December, 1969?

Health and Development Minister (Chaudhri Khurshed Ahmed): A list is laid on the Table of the House.

LIST

	Suspended	Dismissed	Services terminated
Teachers	59	2	1
Masters	11	-	-
Headmasters	5	-	-
Lady Teachers	25	-	-

श्री रणधीर सिंह: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो संख्या इन्होंने दी है, सस्पैण्डिड टीचर्ज की 59, मास्टर्ज की 11, हैड मास्टर्ज की 5 और लेडी टीचर्ज की 25 तो उनमें से किन किन टीजर्च या मास्टर्ज के खिलाफ कौन कौन से चार्ज लगाये गये है?

चौधरी खुरशीद अहमदः मैडम, सब की डिटेलज मेरे पास नहीं है लेकिन जनरल चार्ज या जो मेन चार्जिज लगाये जा रहे है वह यह है कि इनमें से बहुत से आदमी स्कूलों में गैर हाजिर मिले है।

श्री रणधीर सिंहः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो पांच हैडमास्टर्ज सस्पैन्ड किये गये है वह भी गैर हाजिर थे?

चौधरी खुरशीद अहमदः डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैंने यही कहा था कि ज्यादातर इनमें से गैरहाजिर मिले हैं लेकिन जो यह पांच हैड मास्टर्ज के बारे में पूछ रहे है। यह इन्डिविजुअल इन्फर्मेशन मेरे पास नहीं है अगर वह नोटिस देगैं तो मैं हरेक का अलग अलग जवाब दे सकता हूं।

श्री रणधीर सिंहः मंत्री महोदय के पास इसी का पर्टीकुलर नोटिस तो था मैंने सवाल किया था कि क्या स्वास्थ्य तथा विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर 1969 के महीनों में यदि कोई टीचर, मास्टर, हैडमास्टर और महिला टीचर मुअतल किये गये हो, बरखास्त किये गये हो या जिनकी सेवाएं समाप्त की गई हो, तो उनकी संख्या कितनी है तो इससे ज्यादा तो नोटिस की आवश्यकता नहीं रहती जब कि पूरी तरह से डिटेल में प्रश्न पूछा जाये। तो उत्तर तो आना ही चाहिए।

चौधरी खुरशीद अहमदः मैडम, अगर रीजन का वर्ड और डाल देते तो मैं हरेक की वजूहात दे देता।

श्री फतेह चन्द विजः क्या मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि उन के नोटिस में आया है कि कहीं आप के पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी साहब चैकिंग के लिये गये और देखा कि हैडमास्टर नहीं, पूछा तो कहा गया कि श्रेणी में गये है तो कहा कि उन्हें सस्पैण्ड किया जाता है?

चौधरी खुरशीद अहमदः ऐसा कोई केस नहीं। यह बिल्कुल गलत है।

श्री मंगल सैनः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे जो टीचर डिसमिस कर दिया गया है उस का कसूर क्या था?

चौधरी खुरशीद अहमदः डिप्टी स्पीकर साहिबा, डिसमिस एक नहीं हुआ दो हुए है और दोनों के खिलाफ कोर्ट केसिज हुए हैं उन के बिना पर उन को डिसमिस किया गया है बिकाज दे वर कनविक्टिड।

श्री मंगल सैनः मैडम इन्होंने तो पहले एक डिसमिस कहा था, अब दो कैसे हो गये? मैं आपके द्वारा जानना चाहूंगा कि उन के कोर्ट में केसिज जो हुए हैं क्या उन के खिलाफ एफ.आई. आर. दर्ज था या किसी और कारण से डिसमिस हुए है?

चौधरी खुरशीद अहमदः मेरे पास एफआईआर तो नहीं है लेकिन कनविक्शन उनकी कोर्ट में हुई है इसलिये वह डिसमिस हुए है।

श्री फतेह चन्द विजः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह जो संख्या दी गई है सस्पैंडिड और डिसमिस्ड की, यह किन किन अधिकारियों ने डिसमिस या सस्पैन्ड किये है?

चौधरी खुरशीद अहमदः यह सारे कमपीटैन्ट अथारिटीज ने सस्पैन्ड या डिसमिस किये हैं। दोज हू आर कम्पीटेन्ट टू टेक एक्शन अगेंस्ट दैम।

श्री फतेह चन्द विजः मैडम, क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि वह कौन कौन से अधिकारी है, शिक्षा अधिकारी है, जिला शिक्षा अधिकारी है या उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, कम्पीटैन्ट का क्या मतलतब है?

चौधरी खुरशीद अहमदः इनमें जो वेरियस कैटेगरीज आफ टीचर्ज, मास्टर्ज और हैडमास्टर्ज है इनके जो भी रिसपैक्टिव अधिकारी है उन्होंने इन पर एक्शन लिया है।

श्री फतेह चन्द विजः मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो पांच हैडमास्टर्ज सस्पैन्ड किये गये हैं इन को किस अधिकारी ने सस्पैन्ड किया है?

चौधरी खुरशीद अहमदः हमारे यहां हैडमास्टर्ज को सस्पैन्ड करने का अधिकार जो है वह डीपीआई के पास होता है उन्होंने इन्हें सस्पैन्ड किया है।

श्री फतेह चन्द विजः क्या मिनिस्टर महोदय यह बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि कुछ हैडमास्टर्ज, पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी महोदय ने सस्पैन्ड किये हैं?

चौधरी खुरशीद अहमदः सस्पैन्ड कम्पीटैन्ट अथारिटी करती है पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी सिर्फ रिपोट करता है कि कौन किन हालात में पाया गया।

***Starred Question No. 740**

Deputy Speaker: Extension has been asked for in respect of Starred Question No. 740. It is, therefore, postponed.

श्री मंगल सैनः बहिन जी, बात मेरी यह है कि आपने यह भी तो पूछ लिया होगा कि किस डेट को जवाब आयेगा?

उपाध्यक्षाः यह तो मैंने नहीं पूछा। आप अगर चाहें तो मिनिस्टर साहब बता सकते है। देखिये शायद स्पीकर साहब के पास जो लिख कर भेजा गया है उसमें यह है अभी आपको बताती हूं।

श्री मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा क्वैश्चन तो सुन लिजिए। वह यह है:—

(a) the number of the Committee which have been constituted by the Government with the members of the Vidhan Sabha together with the different subjects for which the same were constituted;

(b) the names of the said Committee which were constituted during the years 1968, 1969 and 1970 together with the names of the MLAs who are workig as Chairman and Members thereof.....

यहां कल तक इस हाउस की यह प्रैक्टिस रही है कि कल इन्होंने मेरा सवाल आगे एक्सटैन्ड करवाना चाहा था और मैंने प्वायंट आफ आउट किया तो स्पीकर साहब ने बडी कृपा की और मुख्यमंत्री महोदय इस बात को मान गये कि तीन तारीख को वह जवाब ला देंगे। तो मेरी सबमिशन यह है कि क्योंकि कई मैम्बर्ज को कमेटियों में अप्वायंट किया गया है गवर्नमैंट ने उस में पक्षपात किया हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि उसकी रिपोर्ट दें।

उपाध्यक्षाः वह आपको बता दिया जायेगा

श्री मंगल सैनः लेकिन कब बतायेंगे? कोई डेट तो फिक्स की जाये। देखिये डिप्टी स्पीकर साहिबा, जब स्पीकर साहब, एक प्रेसीडेंट बना दें तो उसको फालो करना चाहिए।

उपाध्यक्षाः मैंने अभी पूछवाया है कि कौन सी डेट को देंगे और वह डेट बता देंगे। आपको क्वैश्चन अवर के अन्दर ही बतला दिया जायेगा।

श्री मंगल सैन: ठीक है जी।

Representation of Teachers Union during the last one year

***737. Chaudhry Narain Singh:** Will the Minister for Health and Development be pleased to state-

(a) whether the Government has received any represenation from the Government Teachers Union regarding their grievances; and

(b) if so, the action, if any, taken or proposed to be taken on presentation referred to in part(a) above?

Health and Development Minister(Chaudhry Khurshed Ahmed): (a) and (b) A statement giving requisite information is laid on the Table of the House.

Statement regarding grievances of teachers

(a) Yes.

(b) Some of the prominent demands raised in this representation and action taken/being taken thereon is indicated hereunder:

(i) restortation of cut imposed in the dearness allowance admissible on revised pay;

(ii) exemption from the payment of professional tax;

(iii) payment of pension to provincialised teachers;

(iv) payment of house-rent allowance/education allowance and medical allowance;

(v) scrapping of policy of transfer to teachers formulated in 1968; and

(vi) formation of Whitley Councils.

(b) (i) In respect of th restoration of cut imposed in the Dearness Allowance admissible on revised pay to teachers, it is stated that the scales of pay recommended by the Kothari Commission and which were allowed to teachers with effect from 1st December, 1967 were, inclusive of the element of Dearness Allowance admissible on Central Government rates on revised pay to teachers was, therefore, reduced by an amount equal to the amount of dearness allowance as existed in 1966 because that portion of dearness allowance was merged in the revised pay scales and made part of their basic pay.

For instance, a JBT teacher who was drawing an amount of Rs. 18.50 as DA on 1st November, 1966 was allowed Rs. 79.50 as DA on revised pay instead of Rs. 98 which would have been normally admissible to him in case no cut was imposed in the total DA admissible to teachers on revised pay. But this portion of DA viz. Rs. 18.50 was, however, made part of their pay with effect from 1st December, 1967. In this connection, it is also stated that one of the teachers has filed a writ petition in Punjab and Haryana High Court which is still pending in the said court. The matter therefore, is sub justice.

b(ii) The professional tax is levied on all Government servants who are posted within the jurisdiction of Panchayat Samitis and not on teachers alone. The demand of giving exemption from payment of this tax to teachers alone cannot, therefore, be acceded to.

b(iii) The teachers of local bodies institutions were taken in Government service with effect from 1st October 1957-the date of provincialisation of Local Body's institutions. Prior to provincialisation, these teachers were entitled for contributory provident fund and this benefit is also being given to them after provincialisation. However, the demand of these teachers for giving them pensionary benefits as admissible to the teachers in the State Cadre is receiving active consideration of the Government and an appropriate decision in this regard will be taken in due course of time.

b(iv) The house-rent allowance and medical aid facilities are provided to the teachers as well as these are allowed to other Government employees. The teachers who are working in such villages which are within 5 miles of the periphery area of municipal towns are also allowed house-rent allowance in case they do not get residential accommodation in villages. As far as the question of payment of education allowance to teachers is concerned, Haryana Government do not allow this facility to other Government employees and as such, such a facility cannot be allowed to teachers alone.

b(v) The policy of posting of teachers beyond 20 miles of their home villages and outside their home districts was formulated after giving mature consideration to this

problem. There were frequent complaints from the public that the teachers being posted near their home villages and towns do not attend to their duties punctually and regularly and this tendency adversely affect the education of the children. Government, therefore, is not ready to accept any change in this policy because it is not in public interest and is likely to invite public criticism.

b(vi) The demand for creating a body like Whitley Councils was also raised by the Subordinate Services Federation which represents all categories of employees and is separately under consideration of the Government. It is expected that some decision in this regard will betaken in due course.

चौधरी नारायण सिंहः क्या मंत्री महोदय बताने की कष्ट करेंगे कि क्या कोठारी कमीशन ने द्वारा कम से कम बेसिक पे, जेबीटी टीचर्ज के लिये सवा सौ रूपये निर्धारति है और अगर सवा सौ रूपये पे निर्धारित है तो क्या इस पर सैन्ट्रल डीए की राशि 98 रूपये नहीं है?

चौधरी खुदशीद अहमदः सैन्ट्रल डीए की राशि जो डिफरैन्ट सलैब्ज है उन पर यूनीफार्म है और जो 98 रूपये हैं वह हम जानते है कि वह सब पर ही है।

श्री मंगल सैनः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो रिप्रैजेन्टेशन टीचर्ज यूनियन की ओर से उन को दी गयी उन पर क्या एक्शन अब तक लिया गया?

चौधरी खुदशीद अहमदः मैडम डिप्टी स्पीकर यह काफी लम्बा जवाब है और इसमें हर एक डिमान्ड के बारे में जवाब दिया गया है। अगर मैम्बर साहब चाहें तो मैं पढ कर तमाम सुना सकता हूं।

श्री मंगल सैनः पढ दीजिए।

उपाध्यक्षाः जी हां, पढ कर सुनाइये।

चौधरी खुदशीद अहमदः The positio is:-

"(a) Yes.

(b) Some of the prominent demands raised in this representation and actions taken/being thereon is indicated hereunder-

(i) restoration of cut imposed in the dearness allowance admissible on revised pay;

(ii) exemption from the payment of professional tax;

(iii) payment of pension to provincialised teachers;

(iv) payment of house-rent allowance/education allowance and medical allowance.

10 A.M.

श्री मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहिबा, क्या मैं आप के द्वारा पूछ सकता हूं कि आपके नोटिस में यह बात आई कि टीचर्ज को घर से बहुत दूर ट्रान्सफर कर देने के कारण उन में

डिसकन्टैन्टमैंट है और क्या गवर्नमैंट उनकी डिसकन्टैन्टमैंट को देखते हुए पालिसी बदलने को तैयार है।?

चौधरी खुदशीद अहमदः मैडम, इसके बारे में जवाब आ चुका हैं कि इस पालिसी के बारे लोगों को बहुत ज्यादा रिजैन्टमैन्ट थी और पब्लिक को भी कम्पलेंट थी कि अपने घरों के पास होने के कारण ठीक तरह से अपनी डयूटी नहीं करते, और समय पर टीचर्ज अपनी डयूटी पर नहीं आते जाते जिस के कारण बच्चों की तालीम पर बुरा असर पडता है। इसलिये इन तमाम चीजों को देखते हुए यह फैसला किया गया था। मैंने अपने जवाब में यह भी कहा है कि इसमे तबदीली करने की गवर्नमैंट ने जरूरत महसूस नहीं की और न ही अभी तक आगे के लिये कोई ऐसा सिलसिला है।

चौधरी नारायण सिंहः मंत्री महोदय ने फरमाया कि पब्लिक की कम्पलेंट थी। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि कितनी कम्पलेंटस इस किस्म की थी कि टीचर्ज घरों या गांवों के पास होने के कारण सरकारी डयूटी अच्छे तरीके से नहीं करते है और कौन कौन सी जगह से यह कम्पलेंटस थी?

चौधरी खुदशीद अहमदः यह तकरीबन हर जगह से ऐसी ही शिकायतें मिली थी।

चौधरी नारायण सिंहः क्या यह कम्प्लेंटस लिखित रूप में आई है या कि जबानी किसी डैपूटेशन के जरिये, मंत्री महोदय के नोटिस में आई?

चौधरी खुदशीद अहमदः यह दोनों ही तरह से आई है।

चौधरी नारायण सिंहः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि कोठारी कमीशन की सिफारिशों के यह विपरित नहीं है कि 125 रूपये बेसिक पे लेने वालों को 79 रूपये 50 पैसे एलांउस दिया जाता है।

चौधरी खुदशीद अहमदः जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं क्योंकि और किसी भी सर्विसिज का डीए मरज नहीं हुआ था जैसा कि टीचर्ज का डीए उनकी पे में मरज हो गया था इसलिये जितना सन 1966 में डीए मरज हुआ था उतनी ही सिर्फ उन से काटा जाता है क्योंकि वह उनकी पे का पार्ट बन गया था।

चौधरी नारायण सिंहः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे जैसे उन्होंने फरमाया कि जो जो टीचर्ज 5 मील के अन्दर अन्दर सर्विस करते हैं उनको जगह न मिलने पर एलाउंस दिया जाता है। इस किस्म का कोई सर्कुलर एजुकेशन डिपार्टमैंन्ट की तरफ से इशू हुआ या टीचर्ज की तरफ से कोई मांग आई कि उन्हें एकम्मोडेशन नहीं मिली और उन्हें एलांउस दिया जाए?

चौधरी खुदशीद अहमदः यह रैगुलर पालिसी है और अगर कोई स्पैसिफिक कम्पलेंट है तो वह मैम्बर साहिबान नोटिस में लाएं। उस की हम रेमिडी करेंगे।

चौधरी नारायण सिंहः क्या डिपार्टमैंट ने कोई ऐसा सर्कुलर भेजा है कि जो टीचर्ज 5 मील के अन्दर अन्दर सर्विस करते है उनको एकम्मोडेशन नहीं मिली, उनको हाउस रैन्ट उस तरह से मिलेगा जैसे कि हमारे एम्पलाइज को मिलेगा?

उपाध्यक्षाः वह सर्कुलर के लिये पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा सर्कुलर है कि जो 5 मील के अन्दर अन्दर रहेंगे उन को हाउस रैन्ट मिलेगा।

चौधरी खुदशीद अहमदः मैंने अपने जवाब में बताया कि यह पालिसी है। सर्कुलर के बारे में, उन्होंने जो सवाल किया है फिलहाल उस के पर्टीकुलर मेरे पास नहीं है उस का नोटिस दे दें तो मैं उनको यह भी क्लीयर करवा दूंगा।

श्री मंगल सैनः मैडम, यह बहुत इम्पार्टेट है उन्हें कह दीजिये कि वह सोमवार तक इसका जवाब दे दें।

चौधरी नारायण सिंहः असलीयत यह है कि टीचर्ज को पता ही नहीं कि 5 मील के अन्दर अन्दर काम करने वाले टीचरों को जिनको एकम्मोडेशन नहीं मिलती। उनको इस किस्म का हाउस रैन्ट मिलता है क्या यह सरकार का फर्ज नहीं है कि

डिपार्टमैंट की ओर से जो यह सहूलियत है उनके बारे में टीचर्ज की अगाह किया जाए?

उपाध्यक्षाः इन्फर्मेशन आपको दे दी जाएगी, मेरी रिक्वैस्ट है कि अगर इस तरह का कोई सर्कुलर नहीं तो वह मेहरबानी करके टीचर्ज को इस तरह का सर्कुलर भिजवा दें।

चौधरी खुदशीद अहमदः उनकी पूरी जानकारी करवा देंगे।

चौधरी नारायण सिंहः क्या मंत्री महोदय बता सकेंगे कि देहात में जो एम्पलाईज सर्विसिज पर हैं भिन्न भिन्न विभागों में काम करने वाले उन में से टीचर्ज की संख्या कितने प्रतिशत है?

चौधरी खुदशीद अहमदः इसके लिये कैलकलेशन की काफी जरूरत पडेगी, आप नोटिस दे दें तो मैं जनरल ब्रांच से पता कर लूंगा।

उपाध्यक्षाः इसके लिये तो नोटिस देना ही पडेगा, इतनी इन्फर्मेशन नहीं हो सकती।

चौधरी नारायण सिंहः इस पालिसी से सिर्फ टीचर्ज ही सफर कर रहे हैं। आज कल के जमाने में भी टीचर्ज पर प्रोफेशनल टैक्स जजिया की तरह लग रहा है। क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे वह ऐसी तकलीफों को दूर करने के लिए तैयार है?

(कोई जवाब नही दिया गया)

Reduction in number of Examination Centres

***584. Major Amir Singh Chaudhri:** Will the Minister for Health and Development be pleased to state-

(a) whether any reduction has been made by the Haryana Board of School Education in the number of Examination Centres;

if so, details thereof;

(b) whether any sort of balance in the rural and urban wings, based on the number of examinees from the respective tracts was maintained in deciding reduction; if any, of such centres; and

(c) if so, details thereof?

Health and Development Minister (Chaudhry Khurshed Ahmed): A statement giving the requisite information is laid on the Table of the House.

Statement regaridng reduction in number of examination centres

(a) Yes. In the context of the centres fixed by the Punjab University for holding Matric and Higher Secondary, Pat I & II examination seventy four centres in the State were abolished as per details given below districtwise:-

Sr. No.	Name of the district	Number of Examination Centres abolished
1	Ambala	8

2	Gurgaon	12
3	Hissar	17
4	Jind	1
5	Mohindergarh	1
6	Karnal	17
7	Rohtak	18
	Total	74

(b) No. The chief consideration for deciding the location of centres has been to have larger and compact centres with a view to minimising the use of unfair means and copying as to have a strict control over the examination centres.

(c) In view of answer to part(b) above the question does not arise.

मेजर अमीर सिंह चौधरीः मिनिस्टर साहब ने यह बतलाया कि गुडगांव में 12, हिसार में 17, करनाल में 17 और रोहतक मे 18 इसी तरह से और जगहों के कुल मिलाकर 74 एग्जामिनेशन सेंटर खत्म कर दिये और दलील दी कि यह इसलिये किया कि कंट्रोल अच्छा हो सके और बच्चे नकल न कर सके। मैं इस सिलसिले में यह पूछना चाहता हूं कि यह जो आपने कंसेन्ट्रेशन की है क्या इससे नई बीमारियां पैदा न होगी?

चौधरी खुदशीद अहमदः ऐसी कोई संभावना नहीं।

मेजर अमीर सिंह चौधरी: आपने जो 74 सेंटर तोडे हैं तो क्या तोडते वक्त यह भी ख्याल किया है कि इन सेंटर्ज के बच्चों का क्या इंतजाम करेंगे रहने का, जब वह दूसरे सेंटरों में जायेंगें?

चौधरी खुदशीद अहमद: हर किस्म के प्वायंट आफ व्यू से यह फैसला किया है।

मेजर अमीर सिंह चौधरी: क्या वजीर साहब, यह बतायंगे कि अगर उन्होंने रिहायश का पूरा ख्याल नहीं किया तो उनके नोटिस में अगर दिक्कतें लाई जाएं तो वह तवज्जह देंगे?

चौधरी खुदशीद अहमद: पूरी पूरी कोशिश करेंगे।

Requirement of Meter Readers

***722. Shri Randhir Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the number of Meter Readers, if any, recruited during the year 1969 in the State.

Irrigation and PowerMinister (Shri K.L. Poswal): 110 Meter Readers have been recruited by the Board during the year 1969.

Arrests of teachers iin connection with Chandigarh Agitation

***741. Shri Mangal Sein:** Will the Chief Minister be pleased to state whether any teachers have been arrested in connection with the agitation regarding Chandigarh Issue in the State after 29th January 1970; if so, the names of the said teachers and section under which they have been arrested?

Chief Minister (Shri Bhajan Lal): Yes. A statement is laid on the Table of the House.

statement regarding the names of the Teachers arrested during Chandigarh Agitation

District	Total number of the teachers arrested	Arrested under substantive Sections	Date of arrest	Arrested under prventive Sections 107/151 Cr. P.C.	Date of arrest
Hissar	6	(i) FIR No. 8 dated 30th January 1970 under section 126/128/129, Railway Act, 148/149/435/436/511 IPC GRPS, Hisar	-		
		(1) Shri Hawa Singh, Teacher Chauhan Public College, Hisar (Private)	30-1-70		
		(ii) FIR No. 11 dated 30th January 1970 under section	-		

		126/128/120, Railway Act, 440/148/140 IPC and 25 Telegraph Act, GRPS, Hisar			
		(1) Shri Atar Singh, Teacher, Primary School, Kohli	2-2-70		
		(iii) FIR No. 29 dated 30th January 1970 under section 307/506/148/149, IPC and Section 7 Cr.P.C. P.S. City, Hisar	-		
		(1) Shri Ram Mehar, Teacher Government High School, Jukhand Khera	30-1-70		
		(2) Shri Balwant Singh Jat of village Latani, Teacher, Government Middle School, Belarkha, district Jind	30-1-70		

		(3) Shri Sat Paul, Teacher, Harji Ram High School (Private) Hissar	30-1-70		
		(iv) FIR No. 29 dated 2nd February 1970 under section 431 IPC and Punjab Sabotage Act, P.S. Hansi	-		
		(1) Shri Mohinder Singh of village Mirchpur, Teacher, Government Primary School Village Kheri Gaggan, Hansi	11-2-70		
Rohtak	2	FIR No. 19 dated 31st January, 1970 under section 148/149/341/336 IPC and P.S. Sadar, Sonepat	-	Shri Harpal Singh, Teacher, Government Girls Higher Secondary School,	31-1-70

				Rohtak	
		(1) Shri Dalip Singh, Teacher Govt. Primary School, Hasanpur arrested at Sonepat	30-1-70		
Gurgaon	7	(i) FIR No. 13 dated 31st January, 1970 under section 147/148/188/427 IPC P.S. Sadar, Gurgaon	-	(1) Shri Lachhman Singh (2) Shri Balwant Singh (3) Shri Roop Chand (all are teachers of the Government High School,	2-2-70

				Manesri, P.S. Sadar, Gurgaon	
		(1) Shri Hem Raj, Lecturer, Government Higher Secondary School, Banikhet district Chamba (HP)	1-2-70		
		(ii) FIR No. 6 dated 2nd February 1970 under section 147/148/149/436 IPC and Security Act, P.S., Pataudi	-		
		(1) Shri Ishwar Singh Arora, Government Higher Secondary School, Sidhrawali, P.S. Pataudi	2-2-70		
		(iii) FIR No. 8 dated 30th January 1970 under section 148/149/353/427/436/307	-		

		IPC P.S. Sadar, Rewari			
		(1) Prof. Vas Dev Randewa, Ahir College, Rewari	3-2-70		
		(2) Prof. Som Dutt, Ahir College, Rewari	16-2-70		
Jind	7	(i) FIR No. 12 dated 31st January 1970 under section 141/149/448/423/506 IPC P.S. Kalayat	-	(1) Shri Partap Singh, Jat High School, Jind (2) Shri Shambhu Dayal, Government Higher Secondary School, Jind	4-2-70

				(3) Shri Nanthu Ram, Government Higher Secondary School, Jind	
		(1) Shri Inder Singh, Teacher, Government Higher Secondary School, Kurar, P.S. Kalayat	2-2-70		
		(ii) FIR No. 37 dated 2nd February 1970 under section 188/506 IPC P.S. Narwana	-		
		(1) Shri Krishan Kumar, Teacher, Jai Hind High School, (Private), Narwana	2-2-70		
		(iii) FIR No. 18 dated 2nd February 1970 under section	-		

		148/149/427/436 IPC and 128, Railway Act, GRPS, Jind			
		(1) Shri Rishi Ram	5-2-70		
		(2) Shri Ripudaman, Teachers, Government Higher Secondary School, Village Garhwali, P.S. Jullana	-		
Narnaul	2	Under section 160/57 IPC P.S. Narnaul			
		(1) Shri Mahesh Dutt son of Ishwar Dutt, Secretary, S.S.P.	30-1-70		
		(2) Shri Banwari Lal 'Med' son of Onkar Dass (BJS) (both are teachers in Private Schools)	30-1-70		
Karnla	2	-	-	(1) Shri Tilak Raj,	2-2-70

				Teacher Primary School, Ugrakheri, tehsil Panipat	
				(2)Dr. Baldev Singh Reader, Kurukshetra University	31-1-70
Total	26				

श्री मंगल सैनः क्या वजीर साहब बतलायेंगे कि यह जो कर्मचारियों की गिरफतारियां की है उन में यूनियन के आफिस बेयरर भी है।

श्री बंसी लालः यह मुझे पता नहीं है। जो भी नाम हैं उनके नम और केसिज लिस्ट में दिये गये है।

श्री मंगल सैनः क्या मुख्यमंत्री महोदय बतलायेंगे कि कहीं कही से अध्यापकों को कमरे के अन्दर से बुलाकर पुलिस थाने में ले गई ऐसी कोई जानकारी उनके नोटिस में है?

श्री बंसी लालः जो भी इतलाह थी वह सदन के टेबल पर रख दी गई है।

श्री मंगल सैनः क्या मुख्यमंत्री बतलायंगे कि डा0 बलदेव सिह कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी के नाम के आगे कोई धारा दर्ज नहीं तो वह कौन सी सैक्शन के तहत पकडे गए है?

श्री बंसी लालः इसमें 107 151 सीआरपी है।

श्री मंगल सैनः जनाब इससे मेरी तसल्ली नहीं हुई मुख्यमंत्री दोबारा देखकर उत्तर दें।

श्री बंसी लालः नम्बर दो में 107 105 सीआरपी है। और नम्बर तीन में मेरा यह उत्तर है कि हर एफआईआर के आगे केसिज और दफा नम्बर दे रखा है।

श्री मंगल सैनः क्या मुख्यमंत्री महोदय बतलायंगे कि जो केसिज चलाए हैं उन को विदड्रा करने की कोई बात सोची जा रही है?

श्री बंसी लालः ऐसा कोई इरादा नहीं है।

श्री मंगल सैनः क्या मुख्यमंत्री महोदय बतलायेंगे कि क्या इन लीडरों में से ऐसे लीडर गिरफतार किये गये हैं जो समय समय पर मुख्यमंत्री के पास डैपूटेशन ले जाते रहे थे और क्या उनसे बदला लेने के लिये ऐसा किया गया है।

श्री बंसी लालः बदला लेने की गर्ज से ऐसा नहीं किया बल्कि जो जुर्म उन्होंने किया उसके अनुसार ऐसा किया गया।

श्री मंगल सैनः जनाब इन टीचर्ज ने कोई जुर्म नहीं किया है। क्या मुख्यमंत्री जी यह बतलायेंगे कि उनके इशारे पर इन्तकाम लेने के लिये मुकदमात चलाये हुए है।

श्री बंसी लालः सरकार की किसी के साथ दुश्मनी नहीं होती। जुर्म के अनुसार किया गया है। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

महन्त गंगा सागरः क्या सरकार यह बतलाएगी कि जो बच्चे और टीचर्ज गिरफतार किये गये हैं उनके साथ लिनियेंट व्यू लेने का सरकार इरादा रखती है?

Shri Bansi Lal: This supplementary does not arise out of the question. This is particularly for teachers.

महन्त गंगा सागरः क्या उस में टीचर्ज का जिक्र नही था?

श्री बंसी लालः इसके लिये आनरेबल मैम्बर फिर से जिक्र करें।

महन्त गंगा सागरः मैं फिर से पूछ लूंगा।

Uemployed Tranined Teacher/Master in the state

***746. Chaudhri Narain Singh:** Will the Minister for Agriculture and Labour be pleased to state-

(a) the number of unemployed trained teachers and masters if any, in the state;

(b) whether the Government is taking any steps to give them employment; and

(c) if so, the period within which they are likely to be abscrbed?

Minister for Agriculture and Labour (Chaudhri Ran Singh): (a) on 31th December, 1969, 8668.

(b) Yes.

(c) 13000 teachers and 3500 masters are likely to be employed during the Fourth Plan period.

चौधरी नारायण सिंहः स्पीकर साहब, मैंने अपने प्रश्न के 'ए' पार्ट में पूछा था कि कितने टीचर्ज और मास्टर्ज अनएम्पलायड हैं लेकिन इन्होंने इकटठी फिगर्ज दे दी हैं मैं यह जानना चाहता हूं कि इन फिगर्ज में कितने टीचर्ज हैं और कितने मास्टर्ज है?

चौधरी रण सिंहः वैसे तो सवाल में यह सैपेरेटली नहीं पूछा गया है लेकिन फिर भी में बता देता हूं कि मास्टर्ज 510 आदमी है और 906 लेडीज हैं। ऐंगलों वरनैकुलर टीचर्ज दो हैं और दोनों आदमी है। जेबीटी टीचर्ज 2968 आदमी है। 4195 लेडीज हैं और ओरियेंटल टीचर्ज 59 आदमी हैं और 28 लेडीज हैं।

चौधरी नारायण सिंहः क्या वजीर साहब बतायेंगे कि 31 दिसम्बर 1969 तक शिक्षा विभाग में कितने रिक्त स्थान और उस वक्त से कितने मास्टर्ज और टीचर्ज के रिक्त स्थान चले जा रहे हैं।

चौधरी रण सिंहः सवाल में रिक्त स्थानों के बारे में पूछा नहीं गया था और अनएम्पलायड टीचर्ज के बारे में ही पूछा हुआ है जो कि उत्तर दिया जा चुका हैं इसलिये इसके लिये नोटिस की जरूरत है। पता करके बता दूंगा।

Chaudhry Narain Singh: Sir, I think it is quite relevant.

Mr. Speaker: You want to know the number of posts vacant.

चौधरी नारायण सिंहः स्पीकर साहब, खाली जगहें न भरने की वजह से इस बजट में इन्होंने 22 लाख रूपये की बचत दिखाई है। और पिछले साल 15 लाख रूपये की थी। एक तरफ तो यह बात है कि पैसा लैप्स कर रहे हैं और दूसरी तरफ यह हाल है कि हजारों की तादाद में टीचर्ज और मास्टर्ज को एम्प्लायमेंट नहीं दी जाती और रिक्त स्थान चले आ रहे हैं। क्या सवाल के 'बी' पार्ट का जवाब इससे उल्ट नहीं मालूम होता है?

Mr. Speaker: Chaudhry Narain Singh's question is a reasonable question, in that, he wants to know the number of posts vacant.

चौधरी रण सिंहः स्पीकर साहब, इन्होंने तो सवाल में अनएम्प्लायड टीचर्ज और मास्टर्ज की तादाद के बारे में पूछा था और उस का जवाब दे दिया गया है। रिक्त स्थान कितने हैं इस बारे में नहीं पूछा था और इसमें पोजीशन यह है कि रिक्त स्थान होते रहते हैं और भरते रहते हैं। इस वक्त कितनी वकैंसीज है यह अलग से सवाल है इसलिये इसके बारे में नोटिस दें पता करके बता देंगे।

Mr. Speaker: He has asked the number of teachers or masters who are unemployeed in the State. Naturally when you are working out this figure then you can also find out how many vacanies were there. This sort of information can flow from the main question If you have this information then you may give it how.

चौधरी रण सिंहः वर्तमान वकैंसीज की इनफरमेशन तो मेरे पास इस वक्त नहीं है लेकिन अगल ये यह जानना चाहते हैं कि इस साल कितने टीचर्ज और मास्टर्ज को पोस्टस दी गई हैं तो मैं बता सकता हूं।

श्री अध्यक्षः कम से कम यही बता दें।

चौधरी रण सिंहः 1969 में 4182 आदमी मास्टर्ज और टीचर्ज को जिनमें जेबीटी भी शामिल है नौकरी दी गई है और 2968 लेडी मास्टर और टीचर्ज को नौकरी दी गई है।

चौधरी नारायण सिंहः यह जो फिगर्ज आपने बताई हैं इन में से रैगुलर बेसिज पर कितने लगे हैं और सिक्स मंथ बेसिज पर कितने लगे हैं?

चौधरी रण सिंहः इसमें टैम्परेरी और रैगूलर सभी शामिल हैं।

चौधरी चांद रामः जैसे चौधरी नारायण सिंह ने बताया कि इस बजट में और पिछले बजट में भी बचत की गई है और यह जानते हैं और यह मानते हैं कि रिक्त स्थान पढे हैं। क्या वजीर साहब बतायेंगे कि अगर रिक्त स्थान भी हैं और अनएम्पलायड टीचर्ज मास्टर्ज भी है तो क्या उनको जल्दी लगाने की कोशिश करेंगे?

चौधरी रण सिंहः जरूर करेंगे।

चौधरी चांद रामः यह कितने समय के अन्दर लग जायेंगे ताकि एजूकेशन भी सफर न करें, जो बेरोजगार बैठे हैं उन को भी एम्प्लायमेंट मिल जाये? क्या कोई आप टाईम लिमिट रखेंगे कि फलां तारीख तक यह रिक्त स्थान भर देंगे?

चौधरी रण सिंहः जैसे जैसे स्कूलों में डिमांड होती है और वह मांग करते हैं वकैंसीज ऐडवरटाइज होती जाती है और भरी जाती है। इस वक्त जो रिक्त स्थान हैं उन को जल्दी से जल्दी फिल अप करने की कोशिश करेंगे।

चौधरी नारायण सिंहः इन्होंनें फरमाया है कि चौथे प्लान में 13000 टीचर्ज और 3500 मास्टर्ज लगाये जा सकेंगे लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि इस वक्त जो ट्रेनिंग इन्सटीच्यूशनज चल रहे हैं उन में चौथे प्लान में कितने टीचर और मास्टर्ज और टेन्ड्र हो जायेंगे?

चौधरी रण सिंहः यह इन्फरमेशन इस वक्त मेरे पास नहीं है। नोटिस दे दें, पता करके बता देंगे।

श्री मंगल सैनः जब यह कहते है कि चौथे प्लान में इतने टीचर्ज और मास्टर्ज लग जायेगें तो हमें यह भी पता लगना चाहिये कि चौथे प्लान में कितने टीचर्ज और मास्टर्ज और ट्रेन्ड हो जायेंगे ताकि हमें पता लगे कि यह अनएम्पलायमेंट की प्राब्लम कहां तक हल होगी और कितने और अनएम्पलायड पैदा हो

जायेंगे। इस लिये हम जानना चाहते है कि तब तक कितने लोग ट्रेन्ड हो जायेंगे?

चौधरी रण सिंहः ख्याल है कि चौथे प्लान तक 8500 टीचर्ज और 7000 मास्टर्ज को ट्रेनिंग दी जायेंगी और यह नम्बर पिछले प्लान से कम है।

Mr. Speaker: I am glad the proper answer has been given. Now you have given the figure of 8000 (roughly) teachers which will be required during the Forth Five Year Plan period. Naturally it will bea good thing for planning if you take into account as to what number of teachers will be trained during this period.

चौधरी नारायण सिंहः स्पीकर साहब, इन्होंने बताया है कि इस वक्त 8668 टीचर्ज, मास्टर्ज अनएम्पलायड हैं और इन में बहुत सारे तीन चार साल से ट्रेनिंग लिये बैठे हैं। और चौथे प्लान तक उनके ओवर एज हो जाने की संभावना हो सकती है। क्या वजीर साहब बतायेंगे कि क्या ऐसे केसिज के लिये एज रीलेक्सेशन कन्सिडर की जायेगी क्योंकि उन को कोई दोष नही है तीन चार साल से ट्रेनिंग ली हुई है?

चौधरी रण सिंहः स्पीकर साहब, ओवर एज ऐसे हालात में हो जाते हैं कि थोडे नम्बरों से जो पास होते है वह पीछे रह जाते हैं क्योंकि जब फर्स्ट डिविजन वाले हर साल मिल जाते हैं तो पहले उनको सरविस मिल जाती है और उसके बाद कम नम्बरों वालों की बारी आती है। यह एक बडी गंभीर समस्या बनी हुई है

कि ओवर एज वालों का क्या किया जाये और क्या पहले फर्स्ट डिविजन वालों को नौकरी दें या पिछले थर्ड डिविजन वालों को दें। इस बारे में अगर मैम्बर साहब कोई सजैशन दें कि इस का हल क्या किया जाये तो हम उस पर विचार कर लेंगे।

चौधरी चांद रामः क्या इस बात के पेशेनजर कि भारी तादाद में टीचर बेरोजगार हैं और खाली स्थान भी पडे है कोई टाईम लिमिट रखेंगे कि दो तीन महीने में स्कूलों से सारी डिमांड इकटठी कर लेंगे और उसके बाद पब्लिक सरविस कमीशन या सुबार्डीनेट सरविसिज बोर्ड से नोटीफाई करवा कर सारी वकैंसीज पुर कर देंगे? क्या वह कोई इस तरह की मियाद मुकरर्र करने के लिये तैयार हैं ताकि तालीम भी सफर न करें लोग बेरोजगार भी न रहे और खाली स्थान भी न पडे रहें?

चौधरी रण सिंहः इस का जवाब मैंने दे दिया है कि उनको जल्दी से जल्दी फिलअप करने की कोशिश करेंगे।

चौधरी चांद रामः जैसा कि उन्होंने भी कहा बहुत सारे लोग ओवर अज हो जाते हैं और उसके लिये जरूरी है कि जो वकैंसीज पडी है दो महीने के अन्दर पुर कर दें। अब अप्रैल का महीना आयेगा और अभी से डिमांड इकटठी कर लें और कमीशन और बोर्ड को भेज दे क्योंकि उनको भी नोटीफाई करने के लिये देर लगेगी। इसलिये कोई स्पैसिफिक टाईम मुकरर्र कर दें अप्रैल

या मई के महीने का टाईम दे दें कि हम फलां महीने में वकैंसीज करेंगे दरख्वास्तें मांगैंगे। टाईम लिमिट तो होनी चाहिए।

Mr. Speaker: This main question is that there are a large number of trained teachers who are unemployed. Ont he other hand, there are a certain number of vacancies. So, natrually, in the interests of good education in our State and also in the interests of these unemployed teachers, it is desirable that immediate action should be taken to fill up the existing vacancies. That is quite a reasonable suggestion and I think we should accept it.

चौधरी रण सिंहः मैंने कहा था कि सरकार का इस तरफ पहले से ही ध्यान है जितनी भी वकेंसीज होगी उन को जल्दी से जल्दी फिल–अप करने की कोशिश की जाएगी।

WRITTEN ANSWER TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE TABLE UNDER RULE 45

Surajpur Cement Factory

***596. Major Amir Singh Chaudhry:** Will the Minister be pleased to refer to the reply to starred question No. 166 Part(c), included in the list of starred question for 29th January, 1969 and to state-

(a) whether the issue of extension of the time limit of the lease of Surajpur Cement Factory relating to the land required for the extraction of the material for the manufacture

of cement has since been decided in favour of the said factory; and

(b) if so, full details of the terms and conditions on which the said extension has been allowed?

Chief Minister (Shri Bansi Lal): (a) No.

(b) Does not arise in view of (a) above.

Buses Damaged/Ruined

***723. Shri Randhir Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the number of buses, if any, damaged or ruined from the 30th January, 1970 to 1st February, 1970 together with the estimated loss suffered by the Transport Department/

Irrigation and Power Minister (Shri K.L. Poswal): (i) Five buses were burnt and 170 were damaged.

(ii) The approximate value of damage caused to the buses is estimated to be Rs. 320261 and the total loss suffered by the Transport Department is estimated to be Rs. 1104441.

Schools Inspected by the Parliamentary Secretary for Educaiton

***742. Shri Mangal Sein:** Will the Minister for Health and Development be pleased to state-

(a) the number of schools, if any, inspected by the Parliamentary Secretary for Education during the years 1969-70;

(b) whether any teachers were suspended or recommended for suspension by the said Parliamentary Secretary; if so, the names of such teachers and the charges, if any, levelled against them;

(c) the names of teachers out of those mentioned in part(b) above, who have been awarded any punishment togetherwith the details of punishments; and

(d) the number of teachers, if any, out of those referred to in part(b) above to whom show-cause notices have been issued together with the number, if any, of those who have been removed from service?

Health and Development Minister (Chaudhry Khurshed Ahmed):

(a) 532.

(b) Yes. A statement containing the requisite information is placed on the Table of the House. (Annexure-A).

(c) A statement containing the requisite information is placed on the Table of the House. (Annexure-B).

(d) 37 Teachers have been served with show-cause notices. None of the teachers mentioned at (b) has been removed from service.

ANNEXURE-A

Statement of teachers placed under suspension during the period from 1st September, 1969 to 31st December, 1969.

Sr. No.	Name, designation and place of posting	Charges
1	2	3
1. Rohtak District		
	Sarvshri	
1	Baljit Singh, GPS (Sisana)	Left the school before closing time.
2	Om Parkash Manjal (Sisana)	
3	Daya Nand PTI (Sisana)	
4	Puran Mal (Sisana)	
5	Mahavir Parshad (Sisana)	
6	Partap Singh (Sisana)	
7	Ram Karan (Sisana)	
8	Sajjan Singh (Sisana)	
9	Raghbir Singh (Sisana)	
10	Bhim Singh (Sisana)	
11	Om Parkash (Sisana)	
12	Rattan Singh (Sisana)	
13	Radha Krishan (Sisana)	

14	Birbal (Sisana)	
15	Kishan Dayal (Sisana)	
16	Gobind Ram, GPS (Rohtak)	Did not mark the leave in the attendance register in r/o two teachers who were on leave on the 3rd and 4th of October, 1969.
17	Chajju Ram GPS (Kundli)	Did not mark another teacher as absent.
18	Smt. Yashwant Kaur GPS (Kundli)	Absence from duty
19	Smt. Nand Kaur GPS (Sisana)	Ditto
20	Smt. Satya Devi GPS (Sisana)	Ditto
2. Ambala District		
21	Ranjodh Singh GPS Barauna (Ambala)	Left the school before the closing time.
22	Dina Nath GPS Barauna (Ambala)	Ditto
23	Kehar Singh GPS (Rasulpur)	Ditto

24	Khilla Ram GPS (Baruna)	Ditto
25	Smt. Padma Wati GPS (Panchkula)	Did not mark another teacher on leave in the attendance register
26	Smt. Santosh GPS (Dhrkhra)	Absence from duty
27	Smt. Sukhchain Lata GPS (Haveli)	Closed the school before time
28	Smt. Phal Wati GPS (Haveli)	Ditto
29	Smt. Subhash Kumari GPS (Rasulpur)	Absence from duty
30	Smt. Shanta Bakshi GPS (Mian Pur)	Complaint against her that she does not come to school.
3. Karnal District		
31	Chhabi Prakash GS Harigarh (Bhorakh)	He used unparliamentary language against CM while criticizing the policy of Government regarding transfers of teachers
32	Swarup Singh GMS Harigarh	He brought deputations to PSE

	(Bhorakha)	in favour of Shri Chhabi Parkash, teacher
33	Ram Dia GPS (Samani)	Absence from school and complaint from Panchayat
34	Ish Kumar GPS (Ajrawar)	Absence from school
35	Nand Kishore GPS (Tatiana)	He closeed the school before closing time on 8th October, 1969
36	Chander Datt GHS (Jhansa)	Misbehaviour towards Headmaster
37	Smt. Sudesh Sharma GMS (Pipli)	Absence from school on 7th Octo, 1969
38	Smt. Darshan Gupta GMS (Pipli)	Ditto
39	Smt. Chander Kanta GPS (Gharaunda)	She was attending to her child during school hours and it was causing hinderance in the

		discharge of her duties
4. Gurgaon District		
40	Nawal Singh GPS (Behlapa)	Absence from school
41	Ramesh Chand GPS (Behlapa)	Ditto
42	Tek Chand GGHS (Badshahpur)	He kept the leave application of another teacher with malafide intension
43	Ramesh Chander GGHSS (Gurgaon)	Absence from duty.

ANNEXURE-B

1. Shri Gobind Ram, Teacher GPS Rohat has been awarded punishment of stoppage of two increments with cumulative effect.

2. Shri Daya Nand, Teacher GHS Sisana has been awarded the punishment of stoppage of 3 increments with cumulative effect.

3. Shri Sajjan Singh, Teacher GHS Sisana has been awarded the punishment of stoppage of three increments with cumumlative effect.

Disparity in Dearness Allowance admissible to Trained Teachers/ Masters and other Government Employees

***747. Chaudhri Narain Singh:** Will the Minister for Health and Development be pleased to state-

(a) whether there is any dispartity in the dearness allowance admissble to trained teachers/masters and other Government servants drawing the same grade of pay; and

(b) if so, the steps, if any, taken or proposed to be taken by the Government to remove the disparity if any, referred to the part(a) above?

Health and Development Minister (Chaudhri Khurshed Ahmed): (a) No, but a part of the Dearness Allowance admissble at Central Government rates to teachers on their pay has been made part of their revised pay scales and thus merged in their basic pay.

(b) The question does not arise.

QUESTIONS OF PRIVILEGE

(i) Regarding the alleged arrest of two persons whom the House had pardoned for throwing leaflets in the Vidhan Sabha from the Visitor's Gallary on 25th February, 1970

Mr. Speaker: Mahant Ganga Sagar has given notice of a privilege motion to the effect that two persons who threw

some papers in the Vidhan Sabha from the Visitor's Gallary and raised some slogans were arrested by the employees of the Vidhan Sabha and after their release the CID people took them into their cutody from the very precincts of the Vidhan Sabha. As the hon. Members would recollect, I had asked the Leader of the House to give us certain information in regard to this matter yesterday, as only after that it woulud be possible for me to give my ruling. I may also add that if the House after hearing Leader of the House, decideds to appoint a Committee for this purpose, it may do so.

महन्त गंगा सागरः स्पीकर साहब, लीडर आफ दी हाउस कब तक जवाब दे सकेंगे?

चौधरी बंसी लालः एक दो दिन के अन्दर।

(ii) Regarding the alleged posting of CID people by the Govt. everywhere in the New MLAs Hostel, Vidhan Bhavan etc.

Mr. Speaker: There is a Notice of Question of Privilege given by Shri Mangal Sein, MLA concerning the posting of CID personnel in the MLAs Hostel near my Chamber and at some other places near the Assembly Chamber as also the exchange of hot world between the DIG, CID, Haryana and an Hon'ble Member of this House has been referred by me to the Government to ascertain the exact position in this regard to enable me to arrive at a decision. On hearing from the Government I will give my decision on this notice.

(iii) Regarding the alleged arrest of a CID person caught red handed in attempting to steal certain

confidential and important papers from the room of Chaudhri Jai Singh Rathi, MLA.

Mr. Speaker: A Notice of Question of Privilege given by Shri Jai Singh Rathi, MLA regarding the alleged hiding of a CID official inside the house of his brother in order in enter his room and steal certain confidential and important papers belonging to him and his consequent arrest therein is disallowed as the intruder has already been arrested by the police and the law take its own course. As such, no question of breach of privilege is involved in this case.

CALL ATTENTION NOTICES

Mr. Speaker: The other day I had reserved my decision on notices of Call Attention Motions given by Rao Birender singh and Dr. Mangal Sein, MLAs concering the alleged involvement of some Ministers of Haryan Government ina Charas Scandal till my ascertaining of the exact position from the Government. I have now been informed that neither any case of alleged Charas Scandal stands registered in the State of Haryna against any Ministers nor has any informaton regarding involvement of any Haryana Minister in Charas Scandal been received by the State Government from any Government or agency outside the state. I, therefore, disallow the notice of Call Attention Notice.

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, इस केस की रजिस्ट्रेशन दिल्ली में हुई थी। मेरी सबमिशन यह है कि यह बडा सीरियस केस है गवर्नमेंट को सारी पोजीशन ऐक्सप्लेन करनी चाहिए

क्योंकि अगर गवर्नमेंट इस किस्म के कामों में पडे तो यह हमारे हाउस की तौहीन है। यह खबर अखबारों में आई है अगर यह खबर गलत है तो अखबार वालों के खिलाफ ऐक्शन लेना चाहिये। इस किस्म की खबर जिसमें हमारे मिनिस्टर इन्वोल्वड हो, अगर अखबार में छप जाती है तो यह गवर्नमैंट पर एक बहुत बडा धब्बा हैं।

Mr. Spearker: I again read a part of my statement-

"Nor has any information involvement of any Haryana Minister in Charas Scandal been received by the State Government from any Government or agency outside the state----------

श्री मंगल सैनः पेपर में कैसे खबर छप गई?

श्री बंसी लालः स्पीकर साहब, ये ही लोग स्कैंडल करते हैं इन्होंने ही खबर छपवाई होगी.....

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, बंसी लाल जी ने मुझे प्रोवोक कर दिया इन्होंने कहा कि हम छपवाते हैं। मैं इन्हें कहना चाहता हूं कि अखबारों में खबरे छपवाने का काम ये नोट दे दे कर करवाया करते हैं हम नहीं करते।

Mr. Spearker: Notice of Call Attention Motion No. 20 given by Dr. Mangal Sein, MLA concering the allged hunder strike by some detenus in District Jail, Rohtak against the revengeful behaviour of the Jail Authorities is disallowed as it does not pertain to a matter of urgent nature. Moreover, the

Hon'ble Member will have ample opportunity to raise discussion on the matter during the discussion on Demands relating to Jails.

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैंने साढे 9 बजे एक काल अटेन्शन नोटिस दिया था। कल हरियाणा व्यौपार मंडल के कुछ लोग मुख्यमंत्री महोदय को मिलने के लिये आये। उनकी कुछ ग्रीवैन्सीज थी जो कि मुख्यमंत्री साहब के सामने रखनी थी और इन्होंने उन को मिलने के लिये टाईम दिया हुआ था। स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री ने उनके साथ बडा मिस–बिहेव किया और उनकी बात सुनने से इंकार कर दिया और कहा कि मैं तब बात सुनूंगा जब व्यौपार मंडल की लीडरशिपचेंज करके आओगे।

Mr. Spearker: I have not received the notice yet. This must have come in the morning today. I will examine it first and then let you know.

राव बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मेरी भी सबस्टांशियल मोशन पेंडिंग है.....

Mr. Spearker: If you remember, the matter has already been discussed and it has been fixed for the 5th March.

राव बीरेन्द्र सिंहः क्या सैशन पांच तारीख तक चलेगा?

Mr. Spearker: I hope so.

DISCUSSION ON DEMANDS FOR GRANTS FOR THE YEAR 1970-71

Mr. Spearker: According to the previous practice and inorder to save the time of the House all the Demands for Grants appearing on the order paper will be deemed to have been read and moved.

The Hon. Members can raisediscussion on the Demands but while speaking they will have to indicate the Demand No. on which they wish to raise discussion.

As the Hon. Members are aware the guillotine is to be applied half an hour before the normal hour of interruption. The Minister also requires some time to reply to the discussion. So I would request the Hon. Members to be brief in their speeches.

That a sum not exceeding Rs. 23684745 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 19-General Administration.

That a sum not exceeding Rs. 39431390 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 23-Police.

That a sum not exceeding Rs. 41917800 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 31-Agriculture.

That a sum not exceeding Rs. 1150000 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 95-Capital outlay on schemes of Agriculture Improvement and Research.

That a sum not exceeding Rs. 9535830 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 35-Industris.

That a sum not exceeding Rs. 16567450 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 96-Capital outlay on Industrial and Economic Development.

That a sum not exceeding Rs. 2077920 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 37-Community Development Projects, National Extension and Local Development Works.

That a sum not exceeding Rs. 40502940 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 42-Multipurpose River Schemes.

That a sum not exceeding Rs. 35283350 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head

43-Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial).

44-Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial).

That a sum not exceeding Rs. 16754435 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head Charges on Irrigation Establishment.

That a sum not exceeding Rs. 53000000 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 98-Capital Outlay on Multipurpose River Schemes.

That a sum not exceeding Rs. 78969570 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 99-Capital outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Work (commercial).

That a sum not exceeding Rs. 11141535 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 9-Land Revenue.

That a sum not exceeding Rs. 887120 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 10-State Excise Duties.

That a sum not exceeding Rs. 523360 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of

payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 11-Taxes on vehicles.

That a sum not exceeding Rs. 3166460 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 12-Sales Tax.

That a sum not exceeding Rs. 2054420 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 13-Other Taxes and Duties.

That a sum not exceeding Rs. 317190 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 14-Stamps.

That a sum not exceeding Rs. 37200 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 15-Registration Fees.

That a sum not exceeding Rs. 2469850 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 18-Parliament, State Union Territory Legislatures.

That a sum not exceeding Rs. 4702730 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 21-Administration of Justice.

That a sum not exceeding Rs. 4595080 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 22-Jails.

That a sum not exceeding Rs. 360620 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 25-Supplies and Disposals.

That a sum not exceeding Rs. 2201490 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 26-Miscellaneous Department.

That a sum not exceeding Rs. 54070 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 27-Scientific Departments.

That a sum not exceeding Rs. 180141883 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 28-Education.

That a sum not exceeding Rs. 33352700 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 29-Medical.

That a sum not exceeding Rs. 41398850 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of

payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 30-Public Health.

That a sum not exceeding Rs. 17394710 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 33-Animal Husbandary.

That a sum not exceeding Rs. 7704500 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 34-Co-operation.

That a sum not exceeding Rs.14399000 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 38-Labour and Employment.

That a sum not exceeding Rs. 7938920 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 39-Miscellaneous, Social and Development Organisations.

That a sum not exceeding Rs. 31523700 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 50-Public Work.

That a sum not exceeding Rs. 8777850 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head Charges on Building and Roads Establishment.

That a sum not exceeding Rs. 6489500 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 52-Capital Outlay on Public Works.

That a sum not exceeding Rs. 83942500 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 57-Road and Water Transport Schemes.

That a sum not exceeding Rs. 22185770 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 64-Famine Relief.

That a sum not exceeding Rs. 7830500 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 65-Pension and other Retirement Benefits.

That a sum not exceeding Rs. 37600 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 67-Privy Purses and Allowance of Indian Rulers.

That a sum not exceeding Rs. 6564255 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 68-Stationary and Printing.

That a sum not exceeding Rs. 9031970 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of

payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 70-Forest.

That a sum not exceeding Rs. 45051325 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 71-Miscellaneous.

That a sum not exceeding Rs. 61370 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 76-Other Miscellaneous Campensation and Assignment.

That a sum not exceeding Rs. 109947900 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 103-Capital Outlay on Public Works.

That a sum not exceeding Rs. 869500 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 109-Capital Outlay on other works.

That a sum not exceeding Rs. 18312400 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 114-Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes.

That a sum not exceeding Rs. 200000 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 120-Payment of Commuted Value of Pensions.

That a sum not exceeding Rs. 389247730 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 124-Capital Outlay on Schemes of Government Trading.

That a sum not exceeding Rs. 182874200 be granted to the Governor to defray the charges that will in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head Loans to Local Funds, Private Parties, Loans to Government Servants.

मलिक सतराम दास बतरा (कलानौर): स्पीकर साहब, मुझे बडी खुशी है कि आपने मुझे बोलने के लिए टाईम दिया। मैं डिमांड नंबर 9 पर बोलना चाहता हूं। स्पीकर साहब हाउस में बडी तरक्की की बातें होती रही है जिन में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात भी आई है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर चर्चा करते हुए गवर्नमेंट के समाजवाद को उछाला और समानता की बाते कही। गवर्नमेंट कहती है कि इससे प्रदेश में समाज आ जाएगा। इससे पहले जो कर्जे जिला अधिकारियों के हाथों जमींदारों को मिलते थे उसको बंद कर दिया और अब बैंकों द्वारा कर्जे लेने पडते हैं। बैंकों में जब जमींदार कर्जा लेने के लिए जाता है तो उसको अपनी जमीन पलैज करनी पडती है तब कहीं जाकर लोन मिलता है। इससे पहले यह सिस्टम था कि जमींदार को अपनी जमीन पलैज नहीं करनी पडती थी, रूटीन में ही सारा काम हो जाता था और अपना काम चलाता था। लेकिन अब बैंकों द्वारा कर्जा लेने पर जमींदार जमीन पलैज करनी पडती है और तीन सौ रूपये का

स्टाम्प खरीदना पडता है। इसके अलावा उनके उपर आढत भी लगा दी। पिछली मीटिंग में भी मैंने इस तरफ ध्यान दिलाया था कि जमीदारों के उपर आढत नहीं होना चाहिए। मैंने इनको कन्विंस करवाया था और फाईनैंन्स मिनिस्टर ने माना था कि मैं इसको हटा दूंगी। लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज इनहोंने कहा कि हम अधेले की दुआनी बना सकती है। इन्होंने सोचा कि जो पैसे चुपके से आते हैं वे आते रहें हटाने की क्या जरूरत है।

(इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई)

डिप्टी स्पीकर साहिबा, लोन्ज के बारे में हम देखते है कि एक साधारण दुकानदार या उद्योगपति को तो 3 से 6 परसैन्ट तक के इन्स्ट्रैस्ट पर लोन दिया जाता है लेकिन उसकी काउन्टर पर खडे होने वाले जमींदार को साढे नौ परसेन्ट इंट्रैस्ट पर दिया जाता है। एक बात लिमिट की मैंने अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की कमेटी की मीटिंग में कही थी जिसमें मेरे जिले के जितने विधायक हैं उनका समर्थन मुझे प्राप्त था कि बैंक में एक साधारण दुकानदार को तो लोन की लिमिट कम कर देते हैं लेकिन बडे से बडे जमीदार के लिए वह लिमिट कम नहीं होती। जमींदार को बिजी टाईम में पावर के बिल भरने होते हैं। फर्टिलाइजर खरीदना होता है अच्छे अच्छे बीज लेने होते हैं। और उसको उस वक्त पैसे की इतनी जरूरत होती है कि वह चाहता है कि जल्दी से जल्दी उसे पैसा मिले ताकि वह अपनी जरूरत की

चीजें खरीद कर फसल बो सकें और फसल के आने पर उस कर्जे को वापिस कर सके। लेकिन अफसोस है कि यह सुविधा उसे नहीं मिलती। यह जो बजट पेश किया गया है इसके पेज नम्बर 22 के उपर मंत्री महोदया ने दिया है कि एक्सैपशनल केसीज में कुछ उद्योगपतियों को बगैर इंट्रैस्ट के भी कर्जे दिये जा सकते हैं। परन्तु मैं चाहता हूं कि कुछेक फारमज जो बडी तरक्की कर रहे हैं जो हरियाणा का नाम ऊंचा कर रहे हैं जो एगजाम्पल सैट कर रहे हैं उनको भी सरकार को इस तरह की बिना इंट्रैस्ट लोन देने की रियायत देनी चाहिए ताकि इस दिशा में भी कोई एग्जामपल सैट हो सके। डिप्टी स्पीकर साहिबा, ताज्जुब की बात यह है कि वैसे तो समाजवाद की बात और समानता की ढोंग ये करते फिरते हैं मगर एक ही काउन्टर पर खडे होने वाले उद्योगपति को तो ये 3 से 6 परसैन्ट तक के इन्ट्रैस्ट पर लोन देते है मगर जमींदार को साढे नौ परसैन्ट इंट्रैस्ट पर।

अब डिप्टी स्पीकर महोदया, मैं रेवन्यू डिपार्टमेंट के बारे में कुछ जिकर करूंगा। शामलात मालकान जमीन की एक ऐसी कैटेगरी है जिसको आज तक रेवन्यू डिपार्टमैंट से कहीं डिक्लेयर नही किया कि इसका मालिक कौन है। जो आदमी इसे बोता है वहीं इसकी पैदावार भरकर अपने घर ले जाता है। पंचायत अथोराइज्ड वहीं होती कि दावा करें और उस आदमी से जमीन ले ले क्योंकि इन्तकाल पंचायत के नाम नहीं होता। पहले तो इस तरह की जमीनों में शामलात लेन्डज की और भी कैटेगरीज जैसे

ठसका, ठोला और पटटी आदि शामिल थी मगर अब शायद उनके इंतकाल पंचायत के नाम हो गए है मगर शामलात मालकान अलाटमेन्ट के टाईम से बची पडी है। यह किसी खाने में नहीं आती है। तो मैं आपके द्वारा डिप्टी स्पीकर साहिबा, सरकार से रिक्वैस्ट करूंगा कि इस जमीन का कुद इन्तजाम किया जाये।

इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज सारे प्रदेश में पटवारखाने न होने के बराबर है। एक ग्रामसेवक तो एक अच्छे सीमेंटिड बंगले में रह सकता है जिसमें कई कमरें होगें। सामान रखने के लिए गोडरेज की अलमारी होगी तथा और बहुत सी चीजें होगी मगर एक पटवारी जोकि रैवन्यू डिपाटमेंट का एक बडा आवश्यक कर्मचारी है और उसका बडा इम्पाररेन्ट रिकार्ड जो हमारी सरकार की रीढ की हडडी है कच्चे और टूटे फूटे कमरे या गोदाम में धक्के खाता फिरता है। इसकी तरफ तो ध्यान नहीं दिया जाता मगर फजूल फजूल के कामों में पैसा लगाया जाता है। इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

कृषि के बारे में डिप्टी स्पीकर साहिबा, कुछ बातें कहना चाहता हूं। कृषि में सब से बडा मसला पानी का है। अगर जमींदारों को पानी मिले तो कृषि का विकास होता है। कुछ इलाके ऐसे है जहां पानी कडवा है जमींदार नहरों पर डिपैन्ड करते हैं मगर नहरों का पानी टेलों तक नहीं पहुंचता। यह बजट के अन्दर माना गया है लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सरकार इसकी तरफ ध्यान नही देती। पिछले दिनों तक फलाईंग सक्वैड

कई जगह गया लेकिन नीचे के कर्मचारी बडे चालाक होते हे उसने कोई भी ऐसा केस जहां घपला होता है जहां कट होता है उसके नोटिस में नहीं आने दिया। जहां गलत तौर पर पानी इस्तेमाल किया जाता है जहां पाईप लाईन रात को डाला जाता है उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने कोई कानून नहीं बनाया। अगर कोई पाईप रात को पकडा जाता है और पुलिस द्वारा केस किसी मैजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाता है तो उसको केवल पांच रूपए जुर्माना होता है। मगर डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थनाा करना चाहता हूं कि जो इस तरह से गलत तरीके से पानी इस्तेमाल करे उस पर ज्यादा से ज्यादा तावान लगे। मैं डिप्टी स्पीकर साहिब आपको एक बात बताता हूं। कलानौर डिस्ट्रिब्यूटरी के उपर चौकी गांव के पास एक बार एक कट हो गया और बडा बावेला मचा। दुबारा फिर वहीं कअ हुआ और दुबारा बावेला मचा और तीसरी बार जब फिर वहीं से कट हो गया तो जिले में मीटिंग हुई, शोर मचा और एक्शन लैने के लिए वहां पर डिप्टी कमिश्नर और एसपी साहब गए। कुदरतन राज्यपाल महोदय भी उन्हीं दिनों उसी इलाके का दौरा कर रहे थे। जमींदारों का डैपूटेशन उनसे मिला जिसको जिला अधिकारियों ने भी पुरजोर सपोर्ट किया और कहा कि नहर वालों को अगर डीओ भी लिखा जाए तो जवाब नहीं मिलता क्योंकि वे समझते है कि हम बगैर सरकार के आदमी है और हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता। इसलिए इनके विरूद्ध कोई कार्यवाही होनी चाहिए। राज्यपाल महोदय ने ज्यादा समय यूएनओ में सर्विस की है इसलिए

यह नहरों का मामला उनके लिए बडा छोटा सा मामला था। जब उनसे यह बात कही गई तो उन्होंने बडा अचम्भा सा जाहिर करते हुए इस बात का आश्वासन दिया कि इस बात पर एक्शन लिया जाएगा। गांव की तरफ से एक एफिडैविट भी पेश किया गया कि नहर के एक कर्मचारी को रिश्वत मिलने और दूसरे को न मिलने की वजह से इस गडबडी में बेलदारों और मेट का हाथ है। परन्तु यह सारा कुछ होने के बावजूद भी पता नहीं फाईल कहां गई? मैंने मिनिस्टर साहब के नोटिस में यह बतलाई थी कि आपके महकमें में तो जवाबतलबी करने वाली फाइल भी गुम हो जाती है तो आप बताएं कि जो किसान भरोसा रखता है पानी आएगा तो मैं खेती करूंगा, उसकी तरक्की या विकास कैसे हो सकता है जब इस तरह की बातें होती हों और टेलों पर पानी की यह हालत हो?

इसके साथ ही साथ डिप्टी स्पीकर साहिबा, आबयाना के मुताल्लिक एक तजवीज मैं रखना चाहता हूं। टेल पर पानी महीने दो में एक आध बार जाता है और किसान उसको प्रयोग करता है बाकी काम को वह टयूबवैलों से पूरा करता है मगर गवर्नमेंट आबयाना सालम वसूल करती है। यह लोगों के साथ अन्याय है इसलिए इसके बारे में मेरा सुझाव है कि जब पानी ही उन्हें पूरा नहीं मिलता है तो आबयाना भी पूरा नहीं लिया जाना चाहिए। इसके लिए या तो सरकार पानी का कोई टैक्स लगाए या गवर्नमेंट इसके अन्दर कमी करें। इसी तरह से टयूबवैलों के उपर

जहां उद्योगपति को 6 पैसे यूनिट के हिसाब से बिजली मिलती है वहां किसान को 15 पैसे एक यूनिट के लिए भरने पडते हैं। यह ज्यादती भी मैं चाहता हूं किसान के साथ नहीं होनी चाहिए।

अभी कुछ देर पहले, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मिनिस्टर महोदय ने कहा कि कुछ इलाकों में देवी विपतियों की वजह से हमारी फसलों को नुकसान होता है और कुछ जगहों पर जहां बारिश होती है वहां जमींदारों को फायदा होता है क्योंकि उनके यहां काफी फसल होती है लेकिन फिर भी अफसोस की बात यह है कि इन देवी विपत्ति वाले इलाकों में भी जबरदस्ती साढे चार रूपए पर होर्स पावर के हिसाब से टैरिफ वसूल किया जाता है। लोग क्या करें अगर न दें तो पीछे से कनैक्शन काटते हैं और गवर्नमेंट जबरदस्ती लेती है। इस तरह की जमींदारों के रास्ते में रूकावटे हैं उनको इस तरह से पीसा जाता है और इन बेचारों की कोई सुनता भी नहीं है। उनके पास साधनों की कमी है ओर फिर यहां पर यह विकास के बडे जोर से नारे लगाते है।

गेंहू के बारे में आपके द्वारा कुछ अर्ज करना चाहता हूं। अब यह जो नये किस्म का बीज आया है जिसको 227 सी के नाम से पुकारा जाता है और कल्याण भी कहा जाता है। यह मैं मानता हूं कि क्वांलिटी के हिसाब से यह ज्यादा मात्रा में हो जाता है परन्तु 308 और बाकी जो फार्मी गेंहू है उसके मुकाबले में यह गेहूं इतना अच्छा नहीं है और न ही उसके रेट इतने अच्छे है। क्योंकि उसका रेट 8 रूपए तक कम रहता है। यहां पर यह भी जिकर

आया कि जमीदारों को बहुत जिनस आती है और उनकी बहुत तरक्की हो गयी है। वहां जमीदार को इतना फर्टेलाइजर इस्तेमाल करके और इतने साधन जुटाने के पश्चात की यह जिनस पैदा कर पाते हैं। इतनी प्रशंसा करना और जमीदारों के लिए फिर यह व्यू बनाना कि जमींदार के घर में बहुत आता है यह बहुत बुरी बात है।

उपाध्यक्षाः आप कितना समय और लेगे।

श्री मंगल सैनः इन्होंने तो अभी बोलना शुरू किया है कोई 15 मिनट और लैंगे।

उपाध्यक्षाः आपका ही टाईम है आप लोगों को ही कम टाईम मिलेगा। आपकी मर्जी है क्योंकि इनको 13–14 मिनट बोलते हुए हो गये है।

श्री मंगल सैनः कोई बात नहीं, इसके बाद हमारे दूसरे साथी कम टाईम ले लेगें।

उपाध्यक्षाः आल राइट।

मलिक सतराम दास बतराः डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं ग्राम के बारे में भी कुछ अर्ज कर देना चाहता हूं कि उसकी भी आज हमारे सूबे में क्या हालत है? ग्राम हरियाणा के रोहतक, महेन्द्रगढ और हिसार के जिलों में होता है। पिछली बार अकाल पड जाने से हमारे जमींदारों को कोआपरेटिव सोसाईटीज के

जरिए कुछ ग्राम खरीदना पडा। जब वहां पता किया गया तो पता लगा कि उनके स्टाक में बिल्कुल ग्राम नही है। हमारे महकमे वाले ग्राम देने में टोटली फेल रहे वह कहीं भी जमींदारों को ग्राम नही दे सके। जब हम मंत्री महोदय के नोटिस में इस बात को लाये ंतो उन्होंने कहा कि हम कैथल से खरीद कर देंगे। उन्होंने काफी समय लगा दिया। क्योंकि उनका विचार तो होगा कि फागुन के महीने में चने बोये जाते होंगे। मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि चने तो आसोज के महीने में बोये जाते है। दूसरी बात यह है कि किसानों को कोआपरेटिव सोसाइटीज से कर्जे दिये जाते हैं। मैं सरकार को चलैंज करता हूं कि कोआपरेटिव सोसाइटीज के कर्मचारी और यहां तक कि ज्वायंट सैक्रेटरी तक भी शामिल है वे भी कर्जा नहीं दे सके। वहां पर इतनी इतनी बडी दिक्कते आती है कहीं पर प्लैज की, कहीं पर श्योरटी का झगडा है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि यह काम तहसीलदारों को सौंप दिया जाये और तकावी भी तहसीलदारों के हाथ ही तकसीम की जाये।

यहां पर हरिजनों के विकास की भी बात कही गयी है। सरकार ने हरिजनों का कल्याण करने के लिए एक बात अपना रखी है कि दो एकड जमीन हरिजनों को दी जायेगी। यह सरकार वह जमीन देती है जो सरपल्स होती है या इन्फीयर लैड होती है या जिसकी कोई बोली नहीं दी जाती है उसको इन्फीरियर लैंड करार दे कर हरिजनों को दे दी जाती है। मैं सरकार से यह

पूछना चाहता हूं कि दो एकड जमीन से हरिजन अपने परिवार का किस तरह से गुजारा कर सकता हैं। वह अपनी डेली वेजिज की मजदूरी को छोडता हैं उस खेत में वह पहरा देता है और काम भी करता है तो इस प्रकार से दो एकड जमीन सेवह कितनी बचत कर सकेगा। क्या दो एकड जमीन से वह अपने परिवार को खिला सकता है? मैं तो गवर्नमैंट से कहूंगा कि कम से कम पांच सात एकड तो दें और उनको कस्टोडियन की जमीन जो नीलाम होती है उसको दे सकती है। छुछकवास और हिसार का इतना बडा बीहड पडा हुआ है और दूसरे बडे फार्म हैं जिन में पोलिकल सफरर्ज को जमीन दी हुई है लेकिन हरिजनों को नहीं दी गयी।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, अपने हलके के बात एमएलए ने यहां पर कही है। मैं भी कुछ अपने हल्के के विषय में अर्ज कर देना चाहता हूं। मेरे हलकै में रोहतक के साथ ककराना गांव है। वह रोहतक से तीन मील के फासले पर है लेकिन उस गांव के लिए आज तक न कोई सडक ही बनायी गयी है और न ही किसी लिंक रोड के साथ उसको मिलाया गया है और न ही वहां पर बिजली का आज तक कोई प्रबंध किया गया है। उसका कारण यह है कि वह हल्का हमेशा से जनसंघी या अपोजीशन के आदमियों को जीताता रहा है। हमारे वजीर साहब कांग्रेस प्रेसटीज की बात बनाये रहते है और उन हमारे हलकों में बिल्कुल काम नहीं करते हैं। इसलिए मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि उस ओर भी ध्यान किया जाये।

अब मैं ट्रैक्टरों की सेल के बारे में कुछ अर्ज करूंगा। हमारी सरकार लाटरी सिस्टम से ट्रैक्टर देती है। अभी पांच दस दिन पहले मैंने गजट में पढा कि हमारी सरकार ने 5000 के करीब डिस्कस खरीदी है जिन में से एक हजार डिस्कस तो जमींदारों को दी जायेगी और बाकी फेबरीकेटर्ज को दी जायेंगी। उनसे जमींदार खरीदेंगे। ठीक है एक हजार तो दे दीं लेकिन जो और डिस्कें उनको दी गयी है उन पर फेबरीकेटर्ज 125 रूपए के हिसाब से मुनाफे के रूप में लेंगे। क्या ही अच्छा होता अगर ये सारी ही डिस्कें जमींदारों को एग्रो–इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन के थ्रू दे दी जाती। जमींदारों से 125 रूपए फालतू दिलाये जा रहे हैं इस तरह से पांच सात लाख रूपया जमींदारों से वसूल किया जायेगा। जब एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन है तो वे भी उसी के थ्रू दी जानी चाहिए जैसे कि ट्रैक्टर दिये जा रहे है। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री कंवर सिंह दहियाः डिप्टी स्पीकर साहिबा बजट के विषय में जो हमारी वित्तमंत्री महोदया ने योजनाएं बनायी है वे बहुत ही अच्छी है लेकिन जिन में मैं कमी समझता हूं और जिसमें मैं संशोधन चाहता हूं वे इस प्रकार से हैं।

बजट में कृषि को बढावा देने के लिए कुछ जिकर किया गया है सब से पहले मैं ट्रैक्टरों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आजकल ट्रैक्टरों की बडी जबरदस्त मांग है। हर जमींदार आज के दिन ट्रैक्टर की मांग कर रहा है लेकिन उनकी

यह शिकायत दूर नहीं हो रही है इसलिए सरकार को ट्रैक्टरों का अवश्य ही प्रबन्ध करना चाहिए। मैं अपने कांस्टीच्यून्सी के एक गांव का जिक करना चाहता हूं। एक जमींदार ने पंजाब ट्रैक्टर कम्पनी, रोहतक में जुलाई 1966 में दो हजार रूपए देकर एक ट्रैक्टर बुक करवाया। जुलाई 1966 में उस जमींदार से उन्होंने 20 हजार रूपये की मांग की और जमा करवा लिए लेकिन आठ महीने के पश्चात पांच सौ रूपए रख कर बाकी सारा पैसा लौटा दिया और उसको कह दिया गया कि जब तुम्हारा नम्बर आयेगा तब दे दिया जायेगा। ऐसी फर्मो के बारे में मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई कायदे कानून होने चाहिएं उन पर कोई पाबन्दी होनी चाहिए। इस प्रकार से एक फर्म ने 22 हजार रूपया यूटेलाईज कर लिया और फिर कुछ दिनों के बाद वापिस कर दिया। इतना ही नहीं उस कम्पनी में करीब 1500 आदमियों के बयाने है। सौ दो सौ तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने बीस बाईस हजार रूपया जमा करवाया होगा। पांच सौ के करीब ऐसे होंगे जिन पे पन्द्रह पन्द्रह सौ रूपये बयाने के जमा कराये होंगे। इस तरह से उन्होंने लाखों रूपए का हेरफेर किया हुआ है तो इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जब एग्रो–इंडस्ट्रीज कारपोरेशन कायम कर दी गयी है तो क्यों नहीं सारे ट्रैक्टर उनके थरू दिये जायें। मैंने भी उस जमींदार का केस सरकार के नोटिस में ला दिया था और जमींदार को मिनिस्टर महोदय से मिला दिया था लेकिन आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ।

11-00 AM

सिंचाई के बारे में भी ऐसा है कि मेरे इलाके या आसपास का जितना भी इलाका है वह आज से सैंकडों वर्ष पहले से ही नहरी इलाका रहा है लेकिन बडे दुख से कहना पडता है कि वहां एक या दो मोरी हैं वह भी कभी सीमेंट लगा कर बन्द कर दी जाती है कभी ईंटें लगा दी जाती है। कम से कम वहां इतना तो पानी मिलना ही चाहिए जितना की पहले मिलता था। यह तो नहीं होना चाहिए कि पहले जितना भी पानी न मिलें। सरकार से प्रार्थना है कि इस तरफ ध्यान दे और उन मोरियों को वक्त पर खुला रखने का इन्तजाम करें।

दूसरी बात है ड्रेनेज की। यह व्यवस्था भी इतनी खराब है कि इस सरकार ने 5 मील लम्बी ड्रेनेज की पाबन्दी लगा दी है। यह एक या आधा मील होनी चाहिए। 5 मील लम्बी ड्रेनेज कोई भी नहीं खोद सकता। अपने खर्चे पर इतनी लम्बी ड्रेनेज कौन खोदता है। इसके निकास के लिए सरकार को खास प्रबन्ध करना चाहिए। हमारे इलाके में ड्रेन नंबर 8 है। पंजाब और हरियाणा जब सांझे थे तो उस योजना के लिए पैसा भी ऐलोकेट किया गया था यह भी सच है कि उस इलाके का पानी ड्रेन में से होकर नहीं डाला गया। जिस समय बरसात होती है उसको पास करना बडा मुश्किल होता है कई बच्चे डूब कर मर जाते हैं या बहे जाते हैं। खेती का सामान एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं आ जा सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत से गांवों की ओर से पुलों के लिए

प्रार्थना की गई थी। इस इलाके में तीन जगह पुल बनाए जाने चाहिएं एक गोरर के पास, दूसरा खांडा–चोलका के पास और तीसरा थानाकलां के पास। इन पुलों के न होने से बडी तकलीफ हो रही है। सरकार से प्रार्थना है कि यह पुल जल्दी से जल्दी बनवाए जायें।

एक डेरी डिवैल्पमैंट की स्कीम सरकार ने बनाई है बडी खुशी की बात है। जींद में लगे, कोई बात नहीं है। कुछ दिन पहले केंद्रीय सरकार ने एक डिपो खरखोदा में लगाया था। लाखों रूपए की मशीनरी वहां बन्द है। वहां कोई खोल कर भी नहीं देखता कि वह मशीनरी खराब तो नहीं हो गई है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि उस मशीनरी को ठीक उपयोग कीजिए। दिल्ली भी नजदीक है वहां दूध भी सप्लाई किया जा सकता है।

इसके आगे मैं रोडस की बाबत कहना चाहूंगा। इस बजट में काफी पैसा सडकों के लिए रखा गया है। एक दो वर्षो से मैं अपनी सडके के बारे, में कहता रहा हूं। लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। खरखोदा से थाना कलां की सडक, हरसाना से सोनीपत रोहतक रोड, जरोडा से सोनीपत–रोहतक रोड कवामी से सोनीपत रोहतक रोड छनौली से सोनीपत रोहतक रोड से कुछ रोडस है जिन की बाबत चीफ मिनिस्टर नै डिक्लेयर किया था कि ये मंजूर हो जायेंगी लेकिन इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। और भी कुछ छोटी छोटी सडकें है। जिनकी तरफ ध्यान दिया जाये जैसे गोपालपुर से खरखोदा, झिझोली से

जटोला, सेहरा से झटगांव, गढी कुंडल से से खरखोदा–दिल्ली रोड, सेरी से विदरान और भदाना से खांडा। गढी कूंडल की सडक के नजदीक 4 गांव है। दो तीन मील का रास्ता है। जो लोग सोनीपत में अपना माल बेचने जाते है उनको सडक के न होने से काफी तकलीफ होती है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस ओर ध्यान दें और जैसा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ये सडके ही पूरी कर दी जायेगी। उनको भी इसका ध्यान रखना चाहिए।

अस्पतालों के बारे में मेरी शिकायत यह है कि सारे हरियाणा में ही अस्पतालों का प्रबन्ध ठीक नहीं है। वहां दवाइयां तक नहीं मिलती। मेरा सरकार से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा अस्पताल खोले जायें और उन में दवाइयां का ठीक प्रबन्ध किया जाये। रोहतक में एक मेडिकल कालिज अस्पताल है लेकिन उसकी हालत भी खराब है। मैं कई बार वहां गया हूं वहां दवाइयां तक नहीं मिलती।

पानी की व्यवस्था के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वाटर वर्क्स का ठीक इंतजाम किया जायें। जहां कडवा पानी है वहां पानी का प्रबंध किया जाये। इसकी तरु ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाये। हरिजनों के वेल्फेयर के लिए इस वर्ष 1 लाख 80 हजार रूपया रखा गया है। मेरी यह प्रार्थना है कि यह राशि बहुत ही थोडी है इसको और बढाया जाना चाहिए। जो रूपया हरिजन कल्याण के लिए बजट में रखा गया है। उस बारे में मैं अर्ज करना

चाहता हूं कि इस संबंध में जो 13–14 एमएलएज की एक एडहाक कमेटी बनाई गयी है अगर यह रूपया उन में ही बांट दिया जाये कि वह अपने अपने हल्कों में खर्च करें तो एक एक सदस्य के हिस्सा में केवल 13–14 हजार रूपया आता है। बाकी हल्के की तो बात ही छोडो। आप इन 13714 सदस्यों के हल्कों में ही देख लें कि 13–14 हजार रूपये से एक हल्के के हरिजनों क कितना कल्याण हो सकता है जबकि एक एक हल्का में पचासी गांव है और हरके गांव से पचासों दरखास्तें आती है। तो इस ओर ज्यादा रूपया रखने की जरूरत है। हरिजन कल्याण के बारे में और भी कुछ कहा गया है कि सरकार ने कारपोरेशन बनाई है। अगर कुछ ऐसी स्कीमें है जिन से हरिजनों को ज्यादा कर्जा मिल सकता है, इमदाद मिल सकती है तो डिस्ट्रिक्ट वैल्फेयर आफिसर, तहसील वैल्फेयर आफिसर के द्वारा हर गांव में जाकर उन स्कीमों का प्रचार करवाना चाहिये और हरिजनों को बताना चाहिए कि तुम्हें ऐसे पैसा मिल सकता है। हलके के हरिजनों को ज्ञान करवाना चाहिए कि तुम्हें इस स्कीम के अन्दर इतना पैसा मिल सकता है हरिजन कल्याण फंड में से ही पैसा मिल सकता है तो फिर ज्यादा से ज्यादा पैसा इसमें रखना चाहिए। दूसरे कुछ वजीफे के बारे में एम्पलायमेंट के बारे में भी बडी दिक्कत है। हमारे देहात में बहुत लोग बेरोजगार फिरते हैं। एफए बीए मैट्रिक तो मैं कितने ही दिखा सकता हूं। उनके रोजगार का प्रबन्ध हमें जरूर करना चाहिए। एम्पलायमेंट एक्सचेंज में पता नहीं क्या होता है। उससे कोई फायदा नहीं है। नौकरी ही नहीं मिलती। वह बिल्कुल बेकार

है पता नहीं वह आईडैंटिटी कार्ड किसको देते हैं। मेहरबानी करके आप इसकी तरफ खास ध्यान दें और इसका जल्दी से जल्दी प्रबन्ध किया जाये। पीडब्ल्यूडी में जो मजदूर लगे हुए है मैं सरकार से उनके बारे में निवेदन करूंगा कि यह 2.50 रूपए या तीन रूपए का जो रेट रखा गया है यह तो कुछ भी नहीं है। तीन रूपए का तो सूखा अनाज खा जाता है दो तीन बच्चों वाला आदमी। तो कम से कम पांच रूपए दिहाडी रखनी चाहिए इससे कम नहीं। सुबह से शाम तक वह मिटटी काटता है। और अपने सिर पर ढोता है। वह बेलदार कहलाता है और उसको 2.50 रूपए और 3 रूपए मिलते है। मैं सरकार से और सारे हाउस से निवेदन करूंगा कि कम से कम इसकी और जरूर ध्यान दें और इसके लिये फौरन ही आर्डर करें कि लेबरर्ज को जो कि मिटटी का काम करें और इसके लिये पांच रूपए से कम दिहाडी न दी जाये। लडकियों के स्कूलों की आजकल काफी चर्चा हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में लडकियों की शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो कन्डीशन बिल्डिंग की रखी है लडकियों के स्कूलों के लिये वह नहीं होनी चाहिए और बिल्डिंग सरकार की तरफ से बनाई जानी चाहिए और जहां स्कूल नहीं है वहां जल्दी ही स्कूल खोलें जायें। इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि हमारे हल्के में जो तीन चार स्कूलों की अपग्रेडेशन करनी है वह जल्दी की जाये। धन्यवाद।

श्री श्याम चन्दः मैडम डिप्टी स्पीकर.....

उपाध्यक्षा: श्याम चन्द जी, एक रिक्वैस्ट है दो चार मैम्बर और बोलना चाहतें है। यानि कुछ और मैम्बर वान्ट टू टेक पार्ट इन डिबेट आप अगर ज्यादा ब्रीफ रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री श्याम चन्द: मैडम, दो साल बाद तो मुझे टाईम मिला है और फिर आपने पाबन्दी लगा दी है यदि आप मुझे नहीं सुनना चाहतीं तो मैं बैठ जाता हूं। (अर्न्तबाधाएं)

उपाध्यक्षा: नहीं, नहीं बोलिये।

Shri Shyam Chand (Baroda S.C.): Madam, Deputy Speaker Demands is for Grant are before the House. It is extremely painful to note that this Government has not taken into consideration new techniques of production or Constitutional and structure changes. For instance, take Agriculutre. There is no proper co-ordiantiton there. We have got a land mortgage bank and also Central Cooperative Bank. Both these institutions advance medium and long term loans to the farmers. But it will be better if instead of these two institutions,the long term credit facilities are transferred only to the Land Mortgage Bank and not to the Central Cooperative Bank so that there is no overlapping of activities, and we can save so much amount of money on staff and others.

Now Madam, there is another glaring anomaly in the purchase of tractors. Suppose, I want to purchase a car I go the bank. I get 70 per cent of the loan and mortgage my car which is for consumption purposes. But for a tractor I have to mortgage my land and not my tranctor which is for productive

purposes. We are passing through a green revolution. So, I would request this Government to eliminate this anomaly. This Land Mortgage Bank, Madam, Deputy Speaker, is primarily menat for advancing loans to the farmers on long terms basis. I understand that the Bank has advanced only three loans for long terms purposes in respect of underground channels and sprinklers in Mohindergarh District and one in Karnal District. Then, Madam this bank has not taken into consideration the necessity of reclamantion of land which is very essential for the production of more food. Also, Madam it will be better if the Government sinks its own tube-wells for small farmers and tenants so that they can also grow more food.

Now we have got another institution. That is the Agro-Industries Corporation. We are importing discs for harrows from foreign countries. It will be better, Madam, if the Agro-Industries Corporation start manufacturing discs for harrows, so that we can reduce a great burden on foreign exchange.

There is another institution in our State. This is the Warehousing Corporation. Madam Deputy Speaker, this Corporation gives facilities to private traders to stock their foodgrains and get 70 percent of loans from the Reserve Bank of India under Selective Credit Control Scheme. Suppose, I have got twenty thousand fo rupees to purchasee foodgrains and store them in the Government Warehouse. I get a loan of 14 thousand rupees from the Reserve Bank of India and again purchase foodgrains worth fourteen thousand rupees and stock there and again get loans. Likewise, I can purchase

foodgrains worth sixty thousand of rupees. And when I purchase foodgrains worth sixty thousand rupees. I purchase roughly @ Rs. 30 per maund. But when in December or January I sell them. I sell them at the rate of Rs. 40 per maund. So roughly I earn profit more than Rs. 20000 on my investment of Rs. 20000. So it is highly undesirable and this is a great burden on consumer and wage-earner. It is very bad and it should be stopped by the Government altogether.

Then, Madam, I come to Industries. We have got one Industrial Development Corporation.It was established by the Government to aid industries. But it is very painful to say here that in the last on year this Corporation has incurred a loss of Rs. 4 lacs. It has got a board of directos with ex-officio members who are frequently transferred. There is no proper mangament of that Corporation. So Government should take immediate steps to see that no further losses are incurred by the Corporation. Then this Industrial Development Corporation took two projects-one at Rewari, Leather Tanning Factory and another at Antri Biharipur, Marble Chips mine. Madam Deputy Speaker in this Leather factor there is a loss of more than Rs. 20000 in one year. It has not done any constructive job uptill now. So Government should take this factory into consideration also.

Then there is Haryana Financial Corporation. I have seen this Corporation. I have studies it. I will suggest two provisions in the constitution fo this Corporation-one provision for the writing off of the shares and second, provision for deferred payment so that industrialists can take proper advantage of this Corporation.

Then there is one Haryana Small Industries Export Corporation. It has done very well, I appreciate this Corporation. It is merely because of good staff. I will sugget that we must do something to increase our exports to hard currency areas so that income generating and capacity creating tendencies are introduced in the economy.

Then Education, Madam Deputy Speaker there has been much talk about education in this House and especially about the miserable conditions of the Teachers and Masters and I would request be removed immediately. It is in the interest of the State. It is in the interest of the education also.

Then Forests, Madam, Deputy Speaker, this congress party for the last 20 years has been promising lands to Harijans. There are many forests in the State and if these forest lands are given to the Harijans it can so something good at least. If somebody gives this argument that forests are very necessary then I will suggest that we are building new roads and we plant trees on their both sides. And if forests lands are actually given to Harijans they can also raise their social and economic standards.

Then I com to Harijan Welfare, Madam, Mr. Kanwar Singh Dahiya andother Harijan MLAs pointed out that last year we had only Rs. 180000 for Harijan welfare and there were many thousand applicants. Every applicant has spent more than Rs. 20 on one application. It seems clearly that we spent more than we got. It is no welfare at all. So Government should give more financial aid to harijans so that they can earn their livelihood in a better manner. In the end I would like to say, Madam that this congress party has been giving

promises to Harijans to give them lands. I want to tell this House very frankly that if the edage of hunger of land of Harijans is not blunted they will be threat to the entire economy and future democracy in India and all our social and cultural values of life which we cherish so much would be smothered into various kinds of economic creeds and essence. And only congress party will be responsible for such a political upheaval. Thanks.

चौधरी पोकर राम गोदारा (फतेहबाद): डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अपने विचार आपके द्वारा हाउस में रखूंगा। फाइनेन्स मिनिस्टर साहिबा ने जो बजट रखा है वह बहुत शानदार बजट है मैं उसकी तारीफ करता हूं। पढने से पता चलता है कि उस में बहुत सी स्कीमें रखी गई है। लेकिन फतेहबाद को उस में नजरअन्दाज रखा गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फतेहाबाद का इलाका, हरियाणा के अन्दर सब से बडा इलाका है और उसके अन्दर 125 गांव हैं और उस में जो वोटरज है वह 65 हजार के करीब है। यह तहसील हरियाणा में सब से बडी तहसील है लेकिन यहसब से पिछडा हुआ हल्का है उसके अन्दर सिर्फ दो सडकें है जोकि साईड से जाती है और एक भी सडक बीच में नहीं। जो सडक बहुत जरूरी है वह है रतिया से अलावलवास। पिछले साल दो सडकें मंजूर हुई थी लेकिन उस में एक बनी लेकिन एक अभी तक उसी तरह पडी हुई है उस का अभी तक कुछ नहीं किया गया। ऐसा नहीं होना चाहिये सरकार को इस तरफ पूरा ध्यान देना चाहिये। इस इलाके के अन्दर इतना रास्ता खराब है जिसकी

कोई हद नहीं है। फतेहाबाद के आसपास जो निहायत जरूरी सडकें है वह हैं फतेहबाद से हांसपुर और रतिया से भूना। इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अब हस्पताल की बात को लेता हूं एक हस्पताल रतिया में और एक फतेहाबाद में है। शेष इतने बडे हल्के में कोई हस्पताल नहीं है और एक हस्पताल मवेशियों का हस्पताल बहुत जरूरी है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, अब स्कूलों की बात करता हूं। हाई स्कूलों के लिये भी सरकार को ध्यान देना चाहिये ताकि बच्चों की तालीम अच्छी हो सके। फतेहबाद में ला कालेज भी होना चाहिए। इस इलाके का पानी जो है वह मीठा है वहां पर टयूबवैल भी लगाने बहुत जरूरी है। कुछ लोगों ने वहां पर टयूबवैल लगाए भी हुए है लेकिन सरकार की तरफ से वहां पर कोई मदद लोगों को नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि लोगों को कुछ न कुछ इमदाद दे और सरकार की तरफ से भी टयूबवैल लगने चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, कुल इलाकों के अन्दर थोडा सा इलाका ऐसा है जहां पानी तो अच्छा नहीं है लेकिन वैसे पानी काफी है तो सरकार को डीप टयूबवैल लगाने चाहिए जिस से काश्त बढाई जा सके। टयूबवैल लगने से 40 एकड तक फ्री टयूबवैल काश्त बढाई जा सकती है। डी टयूबवैल लगाने से बिजली का खर्चा भी बढ जाता है और जमींदार का खर्च भी ज्यादा हो जाता हे इस वास्ते जो पानी टयूबवैल के जरिये दिया

जाये चाहे वह डीजल इन्जन से ही चाहे बिजली से उस पानी का आबयाना या बैटरमैंट लेवी नहीं होनी चाहिए सरकार को खासतौर से इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, फतेहाबाद का नया कस्बा है उसमें एक रैस्ट हाउस भी होना चाहिए। और जोएसडीएम कोर्ट है जोकि सडक के नजदीक ही पडती है वह तहसील रैस्ट हाउस के पास ही होनी चाहिए।

जनाब ब्लाक रतिया के अन्दर अगर आप देखें तो 30 मील के अन्दर कोई मन्डी नहीं है हालांकि इस इलाके में सब से ज्यादा प्रोडक्शन होती है और पिछले साल तो इतनी पैदावार हुई थी कि यह इलाका पहले नम्बर पर था। कभी कभी यहां पर दरिया घग्गर की वजह से फलड आ जाते है और वह बहुत तबाही करते है। यहीं नहीं फलड आने के बाद भी उस इलाके की बनावट ऐसी है। कि वहां से पानी बाहर नहीं निकल सकता और वह फतेहाबाद के पास झील की सूरत इख्तयार कर लेता है। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि फलड को रोकने के लिये कोई न कोई इन्तजाम करना चाहिये।

एक बात और मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहूंगा कि जो सुखचेन माईनर है उस पर जो कट कर देते है आपस की दुश्मनी की वजह से उसका नतीजा यह होता है कि जो फसलें पकने पर आई हुई होती है वह बरबाद हो जाती है। इसलिए

हासपुर बीराबदी के बीच में असकेप बनना चाहिए ताकि फसल को बचाया जा सके।

अब जनाब मैं थोडा समय चण्डीगढ के बारे में कुछ कहने के लिये लेना चाहता हूं। यह तो सब को पता है कि हरियाणा के हरके आदमी ने इस बात की कोशिश की कि चण्डीगढ हरियाणा को मिले। हर पार्टी यही चाहती थी कि हरियाणा के अन्दर ही चण्डीगढ को हरियाणा में लाने की डिमांड की। वह श्रीमति गांधी जी से मिले और अपनी मांग मनवाने के लिये जोर दिया। यह भी सब को पता ही है कि 17 नवम्बर को दिल्ली में हरियाणा के लोगों ने मिलकर बहुत बडी तादाद से एक जलूस निकाला और हिन्दुस्तान की सरकार के सामने अपनी आवाज बुलन्द की लेकिन बावजूद सारी कोशिशों के चण्डीगढ हरियाणा को न मिला। अब जो कुछ हुआ सो हुआ लेकिन हमारे कुछ भाई यह कहते हैं कि चलो चण्डीगढ तो हमारे लिये सफेद हाथी था जो कि हमारे हाथ से निकल गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर चण्डीगढ सफेद हाथी था तो पहले से क्यों नहीं हरियाणा की जनता को यह बतलाया गया। लेकिन अब जब देखा कि अंगूर खटटे हैं तो फिर दूसरी दलील सफेद हाथी वाली पेश करने लगे। मुझे इस बात पर सख्त अफसोस है कि हमारी कोशिशों के बावजूद चण्डीगढ हरियाणा के हाथ से निकल गया यह हमारी जनता के साथ और हरियाणा सरकार के साथ बडा भारी अन्याय हुआ है।

अब मैं हदबन्दी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं यह जो हदबन्छी कमीशन की बात रखी है यह भी हरियाणा को मुसीबत में डालेगी और मेरा यकीन है कि अगर हमारे हक में कोई बात जाती होगी तो उसको लागू नहीं किया जाएगा लेकिन अगर हदबन्दी कमीशन ने कोई फैसला हमारे खिलाफ किया और पंजाब जाएगा क्योंकि यह मेरे और सब के देखने में आया है कि शाह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो दी थी उस पर अमल इसलिये नही हुआ कि वह हमारे हक में थी इसलिये इस हदबन्दी कमीशन की कोई जरूरत नहीं थी।

जनाब चौधरी रणबीर सिंह जी ने यह कहा है कि अगर हदबन्दी कमीशन ने ठीक तरह से जांच की और अपना फैसला दिया तो पंजाब की बहुत सारी तहसीलें हरियाणा को मिल जाएगी लेकिन मुझे इस बात का खतरा है कि कहीं ऐसा न हो कि गये थे नमाज बखशाने और रोजे गले पड गए। जो 107 गांव देने का एलान किया गया है अगर यह बात यहीं तक रहती तो ठीक है मगर कहीं ऐसा न हो कि नये कमीशन के बैठने पर 107 गांव की बजाये और कई सौ गांव हमको देने पडे। अगर ऐसा हुआ तो फिर जो चण्डीगढ हमारे हाथ से गया है उसके साथ साथ यह 100 गांव देरक हमें रून्गा देने की रस्म अदा करनी पड जाएगी।

मुझे एक कहानी याद आ आई महाराष्ट्र के संत तुका राम थे। वह बहुत पहुंचे हुए सन्त थे। एक बार उनके घर में कुत्ती आ गई और जितनी रोटियां रखी थी वह उठाकर ले गई।

जब उन्होंने कुत्ती को रोटी ले जाते हुए देखा तो वह उसके पीछे पीछे हो लिये और कहने लगे कि भई रोटी हमने अभी चुपडी नही थी। जरा ठहर जा मैं रोटी चुपड दूं तो खा लेना। तो कहीं तुकाराम की तरह न हो कि पंजाब चण्डीगढ ले गया और हम पीछे से चण्डीगढ को चुपडने के लिये 100 गांव और दे दें आखिर में मैं अधिक न कहता हुआ इस बात की अपील करता हूं कि जो नया हदबन्दी कमीशन बिठाने की सलाह है उसे हम को ना मंजूर कर देना चाहिये।

उपाध्यक्षाः देखिये मैं सदन को एक बात बतलाना चाहती हूं कि मेम्बरज हाउस में बोलना चाहें वे प्वायंट लिखकर तो बोल सकते हैं मगर लिखी गई स्पीच नहीं पढ सकते।

राव दलीप सिंह (कनीना): डिप्टी स्पीकर साहिबा, सब से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे टाईम दिया। हरियाणा के अन्दर चण्डीगढ के मामले पर जो तशदद हुई जो जुल्म हुआ और मालूम बच्चों पर इनडिसकिमीनेट फायरिंग की गई उसकी वजह से हमारा सिर शर्म के मारे झुक जाता है। मैं उस दिन रिवाडी में मौजूद था जिस दिन गोली चली और लोगों को जो छतों पर चढे हुए थे, उनको भी मार दिया गया (विघ्न)..... .....

मैं जनाब नादौड का वाक्या बतलाता हूं कि वहां पर न सिर्फ पुलिस के सिपाहियों ने बल्कि एक जिम्मेदार सब इन्सपैक्टर

ने गोलियां चलाई लेकिन आज यहां सरकार के साथ देने वाले ऐसी बात करते है कि जैसे पुलिस ने कहीं कुछ नहीं किया हो और उस सब इन्सपैक्टर की करतूत को छिपाया जा रहा ह। मैंने अपनी आंखों से देखा है रिवाडी के अन्दर जो लोग मरे उनको चलती हुई गाडियों में डाल कर उनकी लाशों को रवाना कर दिया और पता नहीं चलने दिया कि जो आदमी मरे उनकी संख्या कितनी थी। गोली चलने के बारे में जो हमने जुडिशियल इन्क्वायरी की मांग की वह भी नहीं मानी गई। आज डिप्टी स्पीकर साहिबा जनता के सामने सब से बडा सवाल यह है कि यह जमहूरियत कामय रहे या न रहे। अगर ऐसे वाक्यात होते रहे तो लोगों का जमूहरियत से विश्वास खत्म हो जायेगा। एक तरफ कहते हैं कि फायरिंग जस्टीफाइड थी लेकिन जब हम इन्क्वायरी की फाइंडिंग आपके पास आ चुकी है वह बिल्कुल फार्स है उसे से कोई मतलब हल नहीं होगा। सरकार का रवैया जनता के लिये फेवरेबल नहीं है। यह तो अपनी झोलियां भरने के लिये तैयार है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, खेतीबाडी के मामले में किसानों के साथ बडा भारी धोखा किया जा रहा है। उन्हें बिजली महंगी मिलती है। फर्टीलाईजरज मंहगे मिलते है और किसान की यह हालत है कि जहां भी वह अपना काम करवाने के लिये जाता है उसे पैसे रिश्वत के रूप में देने पडते हैं। सरकार की तरफ से भी किसानों से समाल सेविंगज बांड के सिलसिले में 5 रूपया माहवारी उगराही करने के आर्डरज पटवारियों को और गिरदावरों को दिये गये थे और वह 5 रूपये के हिसाब से उनसे वसूली की जाती है।

अगर वह यह अदा नही करता है तो उसके माल में बकाया निकाल दी जाती है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, कितने जुल्म की बात है कि गरीब किसान पर नाजायज दबाब डाला जाता है कि उससे स्माल सविंग के लिये पांच रूपये फी एकड पर मंथ लिये जाये। इस बारे में मैंने एक सवाल भी किया था लेकिन सरकार की तरफ से नो में जवाब आया कि ऐसी कोई हिदायतें नहीं की गई है कि वसूली की जाये। मेरे पास डाकुमैंटस मौजूद है कि रैवेन्यू अथोरिटीज ने ऐसी हिदायात जारी की है लेकिन इनकी तरफ से नो में जवाब आता है। इन हालात मे मैं हैरान हूं कि इस सरकार पर और इसके अफसरों पर क्या एतबार किया जाये जो इस तरह गलत जवाब देते हैं और हमें मिसगाइड करते हैं। एक बात और मैं बताना चाहता हूं। जब लैंड रिफार्मज की बात चली और 30 स्टैंडर्ड एकड की सीलिंग लगी तो उस वक्त बहुत रजिस्टरियां हुई। उस वक्त तहसीलदारों ने कहा कि अगर दो हजार रूपये के बांड लोगे तो रजिस्टरियां अटैस्ट करेंगे। जब लोगों ने कहा कि इतनी रकम नही दे सकते तो उन्होंने कहा कि अगर दो हजार के बांड नहीं ले सकते तो दो सौ रूपया ब्याज का दे दो। इस तरह उन्होंने ही रजिस्टरी करवाले वाले से दो दो सौ रूपया लेकर अपनी जेब में डाल लिया और उसकी कोई रसीद वगैरा नहीं दी। इस बारे में फाइनैंस मिनिस्टर साहिबा और चीफ मिनिस्टर साहब को शिकायत भी की गई थी और उन्होंने इन्कवायरी भी कराई थी लेकिन इस बारे में कोई पता नहीं लगा कि क्या ऐक्शन लिया गया है। और जिलों का तो मुझे पता नहीं

लेकिन जिला महेन्द्रगढ में लाखों रूपये की कुरप्शन स्मालसेविंग के नाम पर हुई है और किसानों को स्माल सेविंग के नाम पर बहका कर लाखों रूपया तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने अपनी जेबों में डाला है? इसकी इन्क्वायरी भी हुई थी लेकिन पता नहीं क्या ऐक्शन लिया गया है। किसानों के लिये बडी मुश्किल तो यह है कि हर एक जो आता है वह किसान के उपर ही चढता है। कोई भी टैक्स लगे पहले वह किसानों पर ही लगता है। अगर कोई सरचार्ज लगना हो तो किसानों पर लगता है और अगर कोई लेवी लगनी हो तो किसानों पर लगती है। हमारे हरियाणा का किसान निहायत भोला भाला है और मेहनत के लिये सारे देश में मशहूर है। उसने अपनी जमीन को अपने पास रखने के लिए भारी कुरबानियां की हैं और आज से 20/30 साल पहले ऐसा वक्त भी आया था जब वह लगान भी अदार नहीं कर सकता था मेरे जिला की एक बात है कि एक किसान जब लगान अदा नहीं कर सका तो हकूमत ने हुकम दिया कि उसे कोडे लगाये जायें। जब उसे कोडे लगने लगे तो उस ने कहा कि ठकर जाओ पहले उसे अपनी कमरी उतार लेने दो। जब उसे यह कहा गया कि वह कमरी न उतारे नही ंतो उसकी चमडी उधड जायेगी तो उसने कहा कि चमडी तो उसकी दोबारा आ जायेगी लेकिन कमरी दोबारा नहीं आयेगी। यह हालात थे जिनमें किसानों ने कोडे खा खाकर अपनी जमीनें रखी है और आज उन पर फिर तरह तरह के टैक्स लगा कर उनको परेशान किया जा रहा है। आज उस ने जरा होश सम्भाला है और उसके बच्चे मुस्कराने लगे हैं तो आप उसकी जमीन छीनना चाहते

हैं और चाहते हैं कि उसका लगान बढा दें सरचार्ज लगा दें स्माल सेविंग के पैसे ले लें। बिजली वाले क्या और दूसर क्या सब उसे तंग करते हैं और उसे पैसे देने के लिये मजबूर करते हैं। उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है।

फिर आप देंखें कि टीचर्ज ने क्या कसूर किया था जो आज मारे मारे फिर रहे हैं और उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। उनको दूर दूर इलाकों में भेज दिया गया है और उनके खिलाफ केसिज बनाये जा रहे है। जब वह इंदिरा जी के पास जाते हैं तो वहां यह बात बताई जाती है कि इनहोंने चण्डीगढ के फैसले के बाद जो हालात हुये उनमें पार्ट लिया है और जानबूझ कर उनको फंसाया जा राह है। आप जानते हैं कि शिक्षा वहीं दे सकता है जिसका दिमाग ठीक हो और जिस के मन में शान्ति हों। जिस आदमी के दिमाग में शान्ति नहीं है वह बच्चों को क्या पढा सकेगा। अगर आप चाहते है कि बच्चों को ठीक ढंग से शिक्षा मिले तो जरूरी है कि मास्टर्ज, टीचर्ज और लैक्चरारज को पूरी फेसिल्टीज दी जायें। यह एक हिस्टारीकल फैक्ट है कि 1815 में वाटरलू के मैदान में नेपोलियन की शिकस्त हुई थी और उस जनरल का नाम मुझे याद नहीं शायद उनका नाम बैलिंगडन था या नैलसन था जिसने नेपोलियन को हराया था जब उसे मुबारिकबाद दी गई कि उसने एक बहुत बडे जनरल को हराया है तो उस जनरल साहब ने कहा कि यह लडाई तो वाटरलू से पहले ही जीत ली हुई थी और यह लडाई ईटन और हेरों के स्कूलों में

ही जीत ली गई थी जहां पर कि वहां के टीचर्ज ने बच्चों में देशभक्ति की और उंचे कैरेक्टर की भावना भरी थी। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम भी आज करप्शन की लडाई स्कूलों में लड सकते हैं। सोसायटी का छोटे बच्चों में कैरेक्टर पैदा करके रिफार्म कर सकते हैं ओर जमहूरियज में विश्वास पैदा कर सकते हैं लेकिन यह काम टीचर्ज ही कर सकते हैं लेकिन आज यह हो रहा है कि उन नेशन बिल्डर्ज को मारा जा रहा है। आज वह उस्ताद जिन्होंने कौम को बनाया है दर दर मारे मारे फिर रहे हैं उनको केस बना बना कर परेशान किया जा रहा है और आज उनको कहीं कोई ठौर ठिकाना नजर नहीं आता है। मैं अर्ज करता हूं कि अगर नेशन को बनाना हे तो आप मास्टर्ज, टीचर्ज और लैक्चरारज को ज्यादा से ज्यादा सहूलियते दें। आज हरियाणा में बहुत सारे गांव ऐसे है जहां पर पीने के लिये पानी लोगों को नहीं मिलता है। लोग कई कई मील से पानी उंटों पर और अपने सिरों पर लाते हैं। आज 20/22 साल की जमहूरियत के बाद अगर देहात में लोगों को पीने के लिये पानी भी न मिले तो मैं समझता हूं कि यह लानत की बात है। वह किसान जिसे तीन चार मील से पीने के लिये पानी लाना है या जिसने जोहड का पानी पीना है वह क्या काम कर सकेगा। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को इस तरफ पूरी तवज्जह देनी चाहिये और जल्दी से जल्दी हर जगह पीने के पानी का इन्तजाम किया जाये। कहत के दौरान कहा जाता है कि महेंद्रगढ में काफी रीलीफ दिया गया है और फाडर तकसीम किया गया है किसान को रिलीफ मिलना भी चाहिये

क्योंकि कहत में ज्यादा नुकसान किसान का ही होता है लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वहां किसान को कोई रिलीफ नहीं मिला है लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वहां किसान को कोई रिलीफ नही मिला है और फाडर के बारें में मैं कह सकता हूं कि 90 फीसदी करप्शन के रास्ते गया है। फाडर का 90 फीसदी पैसा करप्ट आदमियों और ठेकेदारों और दूसरे स्टाफ ने खाया है और जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनको रिलीफ नहीं मिला है। महेन्द्रगढ के बारे में ता मैं एक वसूक के साथ कह सकता हूं बाकी इलाकों का मुझे पता नहीं है।

रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, कुरूक्षेत्र को सरकार की तरफ से 10 लाख रूपये सालाना दिये जाते है। मैंने सुना है और मैं वहां के सैनिट का मैम्बर भी हूं कि वहां पर बडी भारी करप्शन है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि उसकी सारी इन्कवायरी की जायें और देखा जाये कि वहां करप्शन है या नहीं। महेन्द्रगढ के हस्पताल का बुनियादी पत्थर रखा हुआ है और उसके लिये पांच छह लाख रूपया मंजूर भी हुआ था लेकिन वह अभी तक नहीं बना है। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि उसे जल्दी बनाया जाये। इसके साथ मैं अर्ज करता हूं कि हमारे हरियाणा में ऐग्रो–इन्डस्टरीज कारपोरेशन ने कोई एक हजार इम्पोर्टिड ट्रैक्टर्ज इशू किये हैं लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि महेन्द्रगढ में एक भी नही गया है। हमारे साथ कितनी ज्यादती की बात है कि एक हजार में से वहां एक भी नही गया है। जब पूछते

है तो कहते है कि वहां से ऐप्लीकेशनज नही आई। मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर लोगों को बताया ही नहीं गया कि ऐप्लीकेशनज देनी है। वहां पर जो बीडीओ तहसीलदार डिवैल्पमैंट अफसर ऐग्रीकल्चर इन्सपैक्टर और डीसी वगैरह है उनका और क्या काम है अगर वह किसानों के बारे में इस बारे में कोई गाइडैंस ही नहीं दे सकते है। उनको किसानों को बताना चाहिये कि ट्रैक्टर्ज आये हैं उसके लिये ऐप्लाई कर दो।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, महेन्द्रगढ में एक ऐजूकेशन सोयायटी का चुनाव होना था लेकिन हकूमत ने वहां के लोकल अफसरों पर दबाब डाल कर धारा 144 लगा दी और वह चुनाव नही हो सका। डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर इस तरह से अफसरों पर नाजायज दबाब डाल कर गलत काम किये जाते है और जनता पर विश्वास नही किया जाता तो आप जानते हैं कि इसका बच्चों पर टीचर्ज पर और आम जनता पर कितना बुरा प्रभाव पडता है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, कोआप्रेटिव सोसायटियां काफी रोल प्ले करती है। इसमें कोई शक नहीं कि गवर्नमेंट ने इस कोआप्रेटिव सोसायटी को सुपरसीड कर दिया जिसका मैं चेयरमैन था मुझे सुपरसीड होने का गिला नहीं हैं। गिला इस बात का है कि नाजायज तरीके से सुपरसीड किया जाता है। गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर खरीदा था। डिपाटमैंट के सैक्रेटरी को बुलाकर कहा कि यह फर्टिलाईजर इन को दे दो। हमने इस फर्टिलाइजर को लेने से इंकार कर दिया क्योंकि वह महंगा था। अगर हम खरीद

लेते तो साढे सात लाख रूपये का नुकसान होता। हमने इनकी इस बात को मंजूर नही किया जिस का रिजल्ट यह हुआ कि गवर्नमेंट ने बोर्ड को ही हटा दिया। बोर्ड को सुपरसीड करने की बात नहीं है अफसोस इस बात का है कि आईएएस अफसरान को नाजायज दबाया जाता है जानबूझ कर करप्शन करवाई जाती है। अगर यही हालत रही तो जनता का विश्वास जमहूरियत से उठ जाएगा। आप अपने करैक्टर को कायम रखे ताकि जनता का विश्वास बना रहे। इस किस्म की कुरप्शन को बन्द करें।

चौधरी चन्दा सिंहः डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं डिमांड.....
.....

चौधरी लाल सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर मैडम। मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि मैंने भी बजट के उपर बोलना है इसलिए मुझे टाईम दिया जाए।

उपाध्यक्षाः यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। आप मेहरबानी करके बैठ जाएं।

चौधरी चन्दा सिंहः डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं डिमांडज और बजट का समर्थन करने के लिए खडा हुआ हूं। बजट को देखने से पता चलता है कि आज हमारे देश का भविष्य बडा उज्जवल है हर क्षेत्र में प्रगति के चांसिज नजर आ रहे है। हम सब जानते है कि हमारे देश की 60 परसेंट आय खेतीबाडी पर निर्भर करती है। अगर आप पिछले दो तीन सालों में हुई प्रगति

का हिसाब लगाये तो आपको मालूम होगा कि हमारी स्टेट की माली हालत बहुत अच्छी हो गई है। जो तबदीली मुल्क में इन दो तीन सालों में आई है इतनी पहले कभी नहीं हुई। किसानों की तो जैसे कायाकल्प हो गई है इतनी अच्छी हालत है। पिछले साल में बीस हजार टयूबवैल स्थापित किए गए है जो कि खेतीबाडी के लिए एक हैरत है। यह दुनियां में एक रिकार्ड है क्योंकि जहां सदियों से एक भी टयूबवैल न हो वहां एक ही साल में बीस हजार टयूबवैल लग जाएं इससे अच्छी बात और कौन सी हो सकती है। अगले साल भी बजट में टयूबवैल्ज के लिए काफी प्रोवीजन है। चौथी प्लान के कम्पलीट होने पर जब हमारी स्टेट में एक लाख के करीब टयूबवैल्ज हो जायेंगे जो आप समझ सकते हैं कि हमारी स्टेट की हालत कितनी अच्छी होगी? यह ऐसी होगी जैसे कि एक सजाई हुई कोठी होती है। खेतीबाडी में उन्नति करने वाली चीजें जैसे हाई वरायटी बीज और खाद में हम दूसरे नम्बर पर है। लोगों को रोजगार देने के लिए दस्तकारी और उद्योगों ने भी काफी उन्नति की है। उद्योग धन्धे चलाने के लिए हरियाणा गवर्नमैंट ने बडे बडे उद्योगपतियों को आमन्त्रित किया है। बाहर की स्टेटों के उद्योगपति और अपनी स्टेट के उद्योगपति हरियाणा में अपने अपने उद्योग स्थापित करेंगे। हमारी स्टेट के नौजवान दिमागी तौर पर ठीक है लेकिन अपने दिमाग को इस्तेमाल करने के लिए दस्तकारियों की कमी है उनको दस्तकारी की ट्रैनिंग नही मिलती। सरकार को चाहिए कि गरीब लोगों को दस्तकारी की ट्रैनिंग दे। वे इतने गरीब है थोडा सा पढने के बाद क्लर्क बनने

की कोशिश करते है या कोई छोटा मोटा आईटीआई का डिप्लोमा ले लेते है। आईटीआई से केवल डिप्लोमा ही लेते है उनको काम करने का कोई जाति तजूरबा नहीं होता जिसके बेसिज पर वे कोई अच्छी नौकरी कर सकें। जहां तक एक करोड या पचास लाख तक के उद्योगों का ताल्लुक है इनकी तादाद तो बहुत कम है इनमें ज्यादा एम्पलायमेंट की गुजायंश नहीं है लेकिन जो पचास हजार या एक लाख तक के उद्योग हैं जिन पर दो परिवार, तीन परिवार या चा परिवार मिलकर काम कर सकें चला सकें, ऐसे उद्योगों की संख्या अधिक होनी चाहिए। इस लिहाज से भी हमारी स्टेट की स्थिति ठीक होती जा रही है और सरकार अधिक से अधिक आईटीआई खोल रही है। खेती बाडी में भी हमारा सूबा नम्बर दो पर है। दस्तकारी की तरह भी तवज्जुह दी जा रही है। दस्तकारी के लिए जो आईटीआई है उन में व्यवस्था ठीक नहीं है। सरकार ने हर तहसील पर आईटीआई खोल दी है लेकिन इन में यह हालत है कि पढने वाले 15 होंगे और पढाने वाले 201 इसके बावजूद भी टीचर कुछ नही पढाते, वे सोचते है कि नौकरी ही करनी हे नौकरी के पीछे जो भाव होता है बच्चों को योग्य बनाने की जो भावना होती है वह बिल्कुल नहीं होती। आपको मालूम है गांवों में रहने वाले लोग ज्यादातर या तो खेतीबाडी करते हैं या मजदूरी करते है। जो लडकें पढते है जिन्होंने मैट्रिक, बीए, एमए पास की हुई है उनको दस्तकारी की जानकारी ही नहीं होती और अगर किसी को जानकारी हो भी उसके पास साधन नहीं होता जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज में उतनी तरक्की नही हो पाती

जितनी की होनी चाहिए। चौथी प्लान के अन्दर खेतीबाडी में काफी उन्नति हो जाएगी। लेकिन किसान जो पैदा करता है उसकी कीमत ठीक तरह से मुकरर्र नही की जाती। इस सम्बन्ध में दूसरे लोगों ने भी कहा। इस के जवाब में ये कह देते हें कि यह स्टेट गवर्नमेंट का सबजैक्ट नहींह है गवर्नमेंट आफ इंडिया का सब्जैक्ट है। सैन्ट्रल गवर्नमेंट जब चीजों की कीमतें मुकर्रर करती है उसकी बेस लाईन का हमें पता नहीं चलता कि वे किस हिसाब से कीमतें मुकर्रर करती है। गेंहू की कीमत पचास रूपये क्विंटल फिक्स कर देते हैं। लेकिन गेहूं पैदा करने के साधन महंगे होते है परिणाम यह होता है कि किसान को कोई फायदा नहीं हो पाता। पैदा करने के साधन मंहगे हो जाते है और गेहूं की कीमत कम हो जाती है। पिछले साल दो कोआप्रेटिव शुगर मिलों में एक को 30 लाख रूपये का घाटा रहा और दूसरी को 16 लाख का घाटा रहा। यह घाटा गवर्नमेंट आफ इंडिया की सोची समझी पालिसी के कारण हुआ है कर्मचारियों का कोई कसूर नहीं है। अगर सैन्ट्रल गवर्नमेंट सोच समझकर पालिसी बनाये तो कभी घाटा नहीं हो सकता। अभी चीनी का रेट 125 रूपये प्रति क्विंटल कम कर दिया है। हमें पता नही कि कितना रेट घटाने का क्या कारण है? कुछ न कुछ तवाजन तो रखना चाहिए जिससे किसान को ज्यादा नुकसान न हो। आज साईंस का युग है ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिल्ली या चण्डीगढ में बैठकर फैसला कर लिया इसके लिए ठोस कारण होने चाहिए। जमींदारों की दिक्कतों का ध्यान रखना चाहिए। भगवान की यानि कुदरत की जो बातें है उन को चलाने

के लिए पानी सारे समाज को चलाने के लिए मानव अपनी जिम्मेदारी रखता है। आज हमारे देश में बैचेनी है। अगर डिप्टी स्पीकर साहिबा इस असतुष्टि का कारण हम खोज करें तो हम इस निश्चय पर पहुंचेंगे कि सरकार की व्यवस्था में दोष के कारण है। आज बंगाल में जो स्थिति बडी भंयकर है वह इसी वास्ते है। कि वहां की सरकार यथार्थता से या हकीकत से बहुत दूर चली गई है। इसलिए सरकारों को चाहिए कि वह प्रत्येक आदमी को, चाहे वह चमडे का काम करता हो, चाहे कपडे का काम करता हो, चाहे खेती का काम करता हो या चाहे मजदूरी करता हो, सारी आफात को अकोमोडेट करें और ध्यान में रखते हुए एक सी मजदूरी दें। अब समाजवाद की लहर देश में तेजी से दौड रही है और यह आएगा इसमें शक की बात नहीं है। लेकिन यह जो हमारे नियंत्रण में कसर पड जाती है इसको सुधारने की बहुत भारी आवश्यकता है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप इंडस्ट्रीज की चीजों की तरफ देखिए। जूते के उपर 35 रूपये 95 पैसे लिखा होगा मगर मिल जाएगा 25 या 30 रूपये में। इसी तरह से दवाइयों के उपर बढा चढा कर कीमतें लिखी होती है मगर 60 फीसदी कमीशन के उपर वे बेची जाती है। पता नहीं फिर क्यों जमींदार को उसकी उपज का ठीक मूल्य नही दिया जाता। पिछले साल किसान को जरूरत की हर चीज की कीमत में बढौतरी हुई है। परन्तु इसके बावजूद भी पता नहीं कौन से बेसिज के उपर उसकी प्रोडक्शन

की कीमतों को फिक्स किया जाता है? यह ज्यादती मैं समझता हूं किसान के साथ नही होनी चाहिए। अगर इसमें सुधार नहीं हुआ और सरकारी कर्मचारी या पोलिटिकल पावर वाले जिसके भी हाथ में सत्ता हो वे लोगों को न्याय नहीं दे सके तो मेरा ख्याल है यह असन्तुष्टि बढती ही जाएगी और हो सकता है कि बंगाल की तरह ला–लैसनैस सारे देश में फैले। लोग कत्ल की बात सुनकर हैरान होते हैं मगर कत्ल क्यों होता है उसका कारण क्या होता है इस बात को बहुत कम लोग सोचते है। एक सच्चे आदमी को या दुखी आदमी को जब किसी अफसर या अदालत से न्याय नहीं मिलता तभी वह कत्ल करने या जेल में जाने की बात करता है। आज का मानव यह समझ चुका हैं कि भगवान किसी को छोटा बडा नही बनाता इसकी जिम्मेदारी तो व्यवस्था करने वाली सरकार पर है। आज की सरकार का जीवन के हर पहलू के साथ सम्बन्ध है। यह पहले की सरकार की तरह नही कि रक्षा विभाग संभाल कर बैठे गई। आज तो एक दुकानदार को सौदा देने से पहले तीन चार पर्चियां काटनी पडती है। खेतीबाडी का काम करने वाले को बहुत सा रैवेन्यू देना पडता है और इसी तरह से जितने भी दूसरी प्रकार के वर्ग है उनको किसी न किसी रूप में सरकार को कुछ न कुछ टैक्स के रूप में देना पडता है। इसलिए यह सरकार का फर्ज है कि वह हर वर्ग को सन्तुष्टि प्रदान करने की कोशिश करें। इसके लिए मैं समझता हूं खेती बाडी को दूसरी चीजों से कोआर्डिनेट करना पडेगा।

आज डिप्टी स्पीकर साहिबा, शासन करने के ख्याल से एक वर्ग दूसरे वर्ग को दबाने की कोशिश कर रहा है। हमारे देश में एक दो बडी पार्टियां को छोड करके सब बडी बडी पार्टिया को दो दो पार्टिया बन गई है। आज कम्युनिस्टों की दो पार्टिया हैं सोशलिस्टों की दो पार्टियां है और इसी तरह से कांग्रेसियों की भी दो पार्टिया बन गई है और उनके अन्दर विचारों का जंग जारी है। इसका मतलब यह है कि लोग अपने निशाने की तरफ तेज गति से बढना चाहते हैं। इस वास्तें यह जरूरी है कि हमारे देश की जो सरकारें हैं उन्हें वक्त के तकाजे को ध्यान में रखते हुए अपने दृष्टिकोण में तबदीली लानी चाहिए।

बैकवर्ड क्लासिज और हरिजनों की ओर डिप्टी स्पीकर साहिबा, विशेष ध्यान देने की जरूरत है। खेती बाडी का धन्धा करने वालों की तो फिर भी कुछ हालत ठीक है लेकिन इन लोगों की बुरी हालत है। जैसे फर्ज किया मैं हूं और मेरे पास पांच या दस किल्ले भूमि है तो ज्यादा नही ंतो कम से कम रोटी की जामिन तो यह है ही। कल को मान लो मेरी डैथ हो जाती है और मेरा बीमा भी नहीं है तो भी कुछ न कुछ बच्चों को मिलेगा ही, वे भूखें नहीं मर सकते लेकिन ऐसे आदमी जिनके पास न तो मकान है न दुकान है और न कोई कारखाना या फैक्टिरी है उनकी क्या हालत होगी? ऐसे लोगों की तादाद डिप्टी स्पीकर साहिबा 60 फीसदी से ज्यादा है। खेतीबाडी करने वाले हम लोग तो दरम्यान में है। कुछ लोग हमारे से उपर है जो हमें नुकसान

पहुंचाते है। लेकिन हमें उनकी तरह ने बन करके हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि डैमोक्रेसी यह मांग करती है कि हर आदमी को रोटी, कपडा और मकान दिया जाए।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, जमीन के बारे में तो किसी स्टेट में सरकार ने 30 स्टैण्डर्ड एकड लिमिट फिक्स कर दी है और किसी स्टेट में 50 स्टैण्डर्ड एकड फिक्स कर दी है मगर शहरी प्रोपर्टी के उपर कोई हद मुकर्रर नहीं की गई है। यह भी दरम्याना तबके के लोगों के साथ एक ज्यादती है। 30 स्टैण्डर्ड एकड भूमि की सारी कीमत यदि 3–4 हजार प्रति एकड के हिसाब से कैलकुलेट की जाए, 2–3 लाख बनती है इससे ज्यादा नहीं बनती। इस वर्ग में डिप्टी स्पीकर साहिबा कोई 90 फीसदी लोग आते हैं और यह कहा जा सकता है कि देहात में रहने वाले किसी भी वर्ग की सम्पति 4–5 लाख से ज्यादा नहीं बनती जबकि टाटा की चार सौ एकड की सम्पति है और बिरला की दो सौ करोड की सम्पति है मगर इनके उपर कोई सीलिंग नहीं है। जब इस तरह का भेदभाव हमारे देश में हो तो कुदरती बात है कि लोगों में असन्तुष्टि होगी। इसलिए इसकी ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, दो हफतों से मैं असैम्बली का सैशन देख रहा हूं। हरिजनों के बारे में इधर वालों की तरफ से और उधर वालें की तरफ से जो कुछ कहा गया उससे यही

नतीजा निकलता है कि उनके बारे में हम सबकी एप्रोच एक सी है। जब तक किसी को उसका हक नहीं मिलेगा वह लडता रहेगा। अपना हक लेने के लिए डिप्टी स्पीकर साहिबा, वह डैमोक्रेटिक तरीके यानि शांतिमय संघर्ष, अखबारों, सेमीनार और सिम्पोजियम के जरिये तो वह लडेगा ही मगर यदि सब्र और शांति से उसे उसका हक न मिला तो फिर जो तरीके ज्योति बसु ने अपनाए है उन्हें लोगों को मजबूरन अपनाना पडेगा और इसकी जिम्मेवारी इन लोगों के उपर होगी जो लोगों को उनके हक देने के लिए तैयार नहीं है। एक महाऋषि जी भी कह गए है कि जुल्म करना अगर पाप है तो जुल्म सहना महापाप है। इसलिए लोग इस महापाप को बरदाश्त नहीं कर सकते। सत्ताधारी लोगों को इन सारी बातों को समझ लेना चाहिए। जनता इस वक्त अफसरों से भी और लीडरों से भी कुछ आगे हैं। हम खबरों में पढते हैं और रेडियों से सुनते हैं कि आम जनता जिसे हम कई बार बुद्धु कहते हैं लीडरों से और अफसरों से आगे है। लोग जब अफसरों के पास जाते है और अफसर उनको मिलने के लिए टाईम नहीं देते तो वे बाहर आकर कहते हैं कि ये लोग इतनी तनख्वाह लेते हैं आराम से बैठे हुए है अच्छा कपडा पहनते हैं। इसके सारे परिवार के लोग आराम से रहते है मगर काम कुछ नहीं करते। ये सारी बातें संकेत करती है अपने काम और कर्तव्यों को अवहेलना की तरफ। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि वजीरों, कमिश्नरों, सैक्रेटरियों और डिप्टी कमीश्नरों आदि सबको इन तकाजों को पूरा करने के लिए अपने दिमाग को चेंज करना चाहिए। जब इस तरह की चेंज आ जाएगी तभी लोगों

को उनके अधिकार अच्छे ढंग से मिल सकेंगे। डिप्टी स्पीकर साहिबा लोग जहां अपने अधिकारों की मांग करते हैं वहां वे अपने कर्तव्यों को निभाने में भी पीछे नहीं है। दो बार देश के उपर हमला हुआ और दोनों ही बार तमाम गांवों के लोगों ने सोना दिया, पैसा दिया और अपने लडके सेना में दिल खोल कर भरती करवाए।

उपाध्यक्षाः आप डिमाडंज पर बोलने की कोशिश करें।

चौधरी चन्दा सिंहः अच्छी बात जी। अब मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं।

उपाध्यक्षाः चन्दा सिंह जी आप कितना टाईम और लेगें?

चौधरी चन्दा सिंहः अभी खत्म कर रहा हूं। थोडा सा अपने हलके के बारे में अर्ज कर दूं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमने जून 1966 में तीन चार सडकों के लिए पैसा जमा कराये थे। एक सडक के लिए चालीस हजार या पचास हजार के करीब और दूसरी के लिये कोई 30–32 हजार और तीसरी के लिए कोई पांच छह हजार जमा कराये थे। तभी से हम कोशिश कर रहे हैं और मैं एमएलए बनकर भी आ गया तभी से मैं भी कोशिश कर रहा हूं अब तो कुछ पीडब्ल्यूडी की रफतार बढती शुरू हो गयी है। क्योंकि पहले तो जैसा कि इन्होंने बजट में संकेत भी दिया है कि 300 किलोमीटर सडक बननी थी अब वह आठ सौ किलोमीटर पर आ गयी है और अगले सालों में 1200 किलोमीटर तक की बात

की गयी है। तो मुझे आशा है कि जल्दी इन सडकों को भी पूरा कर दिया जायेगा।

मेरे अपने इलाके में स्कूलों का तो करीब करीब ठीक सा काम चल रहा है। हम चाहते तो और भी है लेकिन आजकल के हालात को देखकर ठीक सा ही काम चल रहा है। दूसरे जहां तक ड्रेनेज का सम्बन्ध है एक डेढ साल से मैंने भी कोशिश की और सीएम साहब ने मिनिस्टर साहब को कहा लेकिन वे कागज पत्र चल रहे है और हमारे इलाके के लोगों ने और मैंने भी कोशिश की है परन्तु अभी भी वह पास मार्क्स ही है लेकिन खास हरकत में आयी नही है। उतनी हरकत में आयी नहीं जितनी कि आनी चाहिए थी। क्योंकि तीन साल पहले लाखों रूपया जमा कराने के बाद भी आज तक हम उसको हरकत में नहीं ला सके। जहां तक नयी सडकों का सवाल है उनके बारे में हम आशा लगाये हुए हैं। दूसरे खेतीबाडी और दस्तकारी के बारे में भी मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वे इस और भी ध्यान दें। यहां पर हरिजनों के बारे में जिक्र आया कि हरिजनों के लिए एक करोड रूपये से एक कारपोरेशन बनायी जा रही है। चाहे एक करोड की बना ले या दो करोड की बना लें लेकिन हमें देखना यह पडेगा कि आबादी के तनासुब के हिसाब से जब तक उनकी तसल्ली नहीं की जाती है तब तक जो लोग आराम से बैठे हुए हैं वे आराम से नही बैठ सकते है। उनको तकलीफ ही होगी। इन शब्दों को

कहकर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

उपाध्यक्षाः मेम्बरान को मैं यह बता देना चाहती हूं कि 12.30 पर गिलोटीन लागू करना है उसके बाद किसी मैम्बर ने नहीं बोलना है। इस हिसाब से मेरे पास केवल 17 मिनट हैं उसमें से 10 मिनट के लिए आनरेबल फाइनेन्स मिनिस्टर साहिबा ने भी बोलना है। इस हिसाब से केवल सात मिनट बचते है। अब्दुल रजाक साहब आप एप्रोप्रियेशन बिल पर बोल लेना। उस वक्त आपको टाईम दे दिया जायेगा।

चौधरी अब्दुल रजाक खांः मैं कल बोल रहा था परन्तु बीच में ही मेरी स्पीच खत्म हो गयी थी इसलिए मैंने तो दो चार बातें कहनी हैं और थोडा सा ही समय लेना है।

उपाध्यक्षाः आप को केवल सात मिनट दिये जाते हैं। आप इसी टाईम में ही बोल लीजिए।

चौधरी अब्दुल रजाक खांः मोहतरिम डिप्टी स्पीकर साहिबा, कल मैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जिक्र कर रहा था। मैं यह कह रहा था कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन अवाम की हालात को देखकर ही कोई पालिसी वगैरह बनाये जिससे कि बराहे–रास्त अवाम को फायदा पहुंचे। वे ऐसे हिसाब से अपनी पालिसीज को बनायें जिससे की आवाम को बेचैनी न हो, आवाम को यह डर न हो कि अफसरान की तरफ से गलत पालिसीज

बनायी गयी है और वे अफसरान को और इस सरकार को बद दुआ देते रहें। इसी बारे में एक दो बातें अर्ज करना चाहता हूं।

पहली बात तो यह है कि सरकारी अदारे से हमारे यहां कोआपरेटिव सोसाइटियां चलती है जिसमें आवाम का कोई भी सलाह या मश्वरा नहीं लिया जाता है बल्कि उपर की सतह पर ही पालिसी फ्रेम कर ली जाती है और उपर से लागू कर दी जाती है। सरकार अवाम को जबर्दस्ती खाद देती है आप हमारे इलाके के बारे में देखिए। हमारे इलाके में बारानी फसल होती है पानी का कोई बन्दोबस्त नही है नहरे नहीं है। टयूबवैल भी बहुत कम तादाद में है लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से किसानों के कर्जा इन काइन्डज दिया जाता है। वे बेचारे कितने तंग है। कितने मजबूर है बहरहाल उनके पास कोई साधन नहीं है और कोई आमदनी का जरिया नही फिर भी वे इन काइन्डज कर्जे लेते है। उस खाद को वे 28 रूपये मन के हिसाब से लेते हैं और फिर उसी खाद को वहीं जमींदार बिजनैसमैन को जो ब्लैकमैंन है आमतौर पर बेच देते हैं। बिजनैसमैन किसान से 21 रूपये मन के हिसाब से खरीद लेते है और फिर ब्लैक में यूपी में भेज देते है। मोहतरिम डिप्टी स्पीकर साहिबा यह बडे शर्म की बात है कि जिन लोगों को खाद की जरूरत नहीं है उनको जबरदस्ती खाद दिया जाता है उन बेचारे गरीब किसानों को मदद देनी चाहिए उनको कोई और दूसरे ढंग से माली इमदाद दी जानी चाहिए। वे इस चीज के हकदार है उन्हें इमदाद मिलनी चाहिए। तो इस तरह से

मेरे इलाके में हैजान फैला हुआ है एक एक जमीदंार को एक एक कटटे के अन्दर 6–6 या 7–7 रूपये का लास होता है। इस तरह से बजाए उनको इमदाद देने के सरकार उनको तकलीफात दे रही है।

दूसरी बात यह है कि सरकार की तरफ से खेतीबाडी में तरक्की देने के लिए लैंडमार्टगेज बैंक से कर्जा दिया जाता है। उनकी आज के दिन यह हालत है चाहे सरकार इस बारे में इन्कवायरी भी करा ले और किसान लोग भी गैलरीज में बैठे हुए है। वे भी जानते हैं कि हर किसान जो भी सरकार से कर्जा लेता है। उससे सैंकडों रूपये रिश्वत के रूप में ले लिए जाते हैं इस गलत इन्तजामी की वजह से जो कि हमारे अफसरान और एडमिनिस्ट्रेशन की है वह अवाम को परेशान करती है। इस बारे में सरकार को अपनी तवज्जह देनी चाहिए कि ऐस अवाम जो कर्जा लेकर भी मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं और फिर उनको रिश्वत देनी पडे यह हमारे मैनेजमेंट के लिए ओर रिश्वत लेने वाले इन साथियों के लिए बायसेशर्म है। उनको इस तरह से कैसे एहसास हो जाता है कि वे ऐसे लोगों से रिश्वत ले लेते है जो अपनी जमीन को गिरवी रखकर, अपनी भोजन की थाली को गिरवी रख कर अपनी रोजी कमाना चाहते हैं और फिर उनके रिश्वत ली जाये। यह हमारे लिए बायसेशर्म है और एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान को इस तरह तवज्जह जरूर देनी चाहिए। मोहतरिम डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो तीसरी बात में आपके जरिए अर्ज करना

चाहता हू वह यह है कि सरकार किसानों को उनकी तरक्की और भलाई के लिए कर्ज के रूप में मदद देती है जिससे वे कुएं बना सकें। टयूबवैल लगा सके और खेती को बढावा दे सकें। यह सरकारी अदारे से, तहसील से या फाईनैंस डिपार्टमैंट से कर्जा या तकावी के रूप में लेते है। जब उसकी वसूी का सवाल आता है। जब जमींदार या किसान अपनी जमीन को गिरवी रख कर अपनी गारन्टी दे देते हैं तो भी उनको बुला कर और वह भी उन हालात में बुला कर जब कि कहत पड जाता है और वे उस टाईम पर कर्जे को अदा नहीं कर सकते हैं तो उनको तंग किया जाता है और बन्द कर दिया जाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार की यह पालिसी इस तरीके की क्यों चल रही है। एक आदमी अपना डीड देता है, अपनी शयूरटी दे देता है लेकिन फिर भी उसको इस तरह से तंग किया जाता है। पहले उसके हालात पर सरकार को मुतायला करना चाहिए फिर उसको मौका देना चाहिए और यह कहना चाहिए कि कर्जा अदा करो अगर नहीं कर सकते हो तो तुम्हारी जमीन नीलाम कर दी जायेगी। कहने का मतलब यह है कि अगर वे कर्जा नहीं दे सकते हैं, अपनी किश्त नहीं दे सकते हैं तो उनकी जमीन नीलाम की जा सकती है। यह तरीका नहीं होना चाहिए कि उनको दस दस दिन तक बुला कर हसब बेजा में रखा जाये और वे वहां पर जो खाना खायें वे भी अपने पल्ले से खायें। यह सरकारी कर्मचारियों की अजीब बात है कि जब उनको बन्द कर दिया जाता है और फिर वे खाना अपने पलले से क्यों खायें ? सरकार की तरफ से उनका इन्तजाम होना

चाहिए। दूसरे जब उन्होंने अपनी जमीन गिरवी रख दी और जमीन जमानत के तौर पर दे दी तो भी अफसरान की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किसानों को क्यों परेशान किया जाता है ? अभी जैसा कि भाई चन्दा सिंह जी ने कहा कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे ही चलती रही और सियासी लोग इस तरह से लापरवाही से चलते रहे तो एक वक्त आयेगा जो मगरबी बंगाल में हो रहा है वही हाल यहां हो जायेगा। गरीब किसान इन चीजों को कब तक बरदाश्त करेगा ? गरीब किसान इस रिश्वत को कब तक देता रहेगा ? अब वह समय आ गया है जब वह बरदाश्त नहीं कर सकता ? आज सरकार की तरफ से 20 साल से नारे लगाये जा रहे हैं कि सोशलिज्म लायेंगे, बराबरी और ना–बराबरी को खत्म करेंगे। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि जो बेकस हालात चल रहे हैं चाहे वे मुल्क में हैं या सूबे में हैं उन हालात पर गौर करें। हमारे सूबे के अफसरान और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी इस तरफ जरूर गौर करं।

जहां तक सरकार तरक्की के अलाप बजा रही है हमने इतने बिजली के कनैक्शन दे दिये यह कर दिया वह कर दिया। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि ये कनैक्शन महज इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड की वजह से नहीं बल्कि अवाम के सहयोग से मिले हैं। अवाम ने खुद खंभे उठाये हैं, खुछ गढ़े खोदे हैं जब उनका सहयोग मिला तभी तरक्की हुई। इससे हम इन्कार नहीं कर सकते हैं कि कुछ तरक्की हुई है। मैं एक चीज की तरफ सरकार का ध्यान

दिलाना चाहता हूं कि सरकार जो पालिसी बनाती है वह डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर या अपने स्टेट हैड क्वार्टर पर ही बना लेती है। सरकार को चाहिए कि वह अवाम के हालात को पूछ कर, उनकी तकलीफों को देख कर अपनी पालिसी वगैरह बनाये। उनकी मर्जी के मुताकिब ही कोई पालिसी वगैरह बनायी जाये। इसके लावा पहले जैसा हरकतें यहां न चलती रहैं।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे हरियाणा के बहुत से मुसलमान शहर और कस्बों को छोड़कर फिसादात के दौरान पाकिस्तान माइग्रेट कर गए। उनके बाद हमारी इबादतगाहें मस्जिदें यहां लावारिस रह गई। तो परेशानहाल भाइयों ने उनके अन्दर पनाह ले ली, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन ज्यों–ज्यों हम हालात दुरूस्त कर पाए, वह गन्दगी, वह नफरत व जानों की परेशानहाली हम खत्म कर पाए, हर कस्बे, हर हरियाणा के शहर तथा देश के दूसरे प्रान्तों में मुसलमान अपनी जगह पकडते गए। मुसलमानों को नमाज के लिए इबादतगाहों मैं जाना जरूरी हो गया। हमारे यहां बहुत सी इबादतगाह ऐसी हैं जिनमें अब तक भी आबादी है। उन भाइयों को खुद ही सोच लेना चाहिए था कि ये तो इबादतगाह हैं उनको 20 साल के अर्से में कुछ इन्तजाम कर लेना चाहिए था यह तो बिरादराना मशविरा है। तो सरकार से मेरी शिकायत है और जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन से शिकायत है कि जब हम जरूरत के नाते मुकदमा करते हैं अव्वल तो मुकदमा भी नहीं होना चाहिए था जैसे पहली सरकारों ने जहां

जो मस्जिदें गैरआबाद हुई उनको महकमा आसार कदीमा को दे दिया और यह समझकर कि इन मस्जिदों की बेहुरमती न हो, इनका बेजा इस्तेमाल न हो, चाहिए तो हमारी सरकार को यह था कि वह इन मसजिदों की बेहुरमती होने से बचाती। बल्कि मैं तो यह कहता हूं कि सैन्ट्रल गवर्नमैंट को चाहिए था कि इन मसाजीद को महकमा आसार कदीमा को देकर बेहुरमती होने से बचाती। इस बेहुरमती से हमारे एहसास को ठेस पहुंचती है कि जो भाई इनके कदरदान नहीं वे इन जगहों को मवेशी बांधने और यहां तक कि ट्टी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हम इस देश के रहने वाले हैं हमारे एहसासात को ठेस पहुंचाना कोई अक्लमंदी नहीं और इसमें सरकार भी उतनी दोषी है जितने कि वे कम समझ भाई। इन मस्जिदों की मालगुजारी के लिए हमने मुकदमें भी किए हैं और अब हम उनका कब्जा लेकर जाते हैं तो जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन हमारी मदद नहीं करता। मुकामी अफसर किसी बात से दबकर या किसी और वजह से वह हमको कब्जा दिलाने से इन्कार कर देते हैं या कुछ दिन के लिए टालमटोल कर देते हैं। तो इस तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

उपाध्यक्षाः आप मेहरबानी करके खत्म कर दीजिए।

चौधरी अब्दुल रज्जाक खांः बस एक मिनट में खत्म कर रहा हूं।

श्रीमती शकुन्तलाः आप बोलते रहिए। घंटी बजती है तो बजने दो।

उपाध्यक्षाः मैं इस तरह की चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती। किसी मैम्बर का यह कहना कि घंटी बजती रहे और बोलते रहें, ठीक नहीं है। मैं यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी।

चौधरी अब्दुल रज्जाक खांः इस बारे में मैंने कल भी याद दिलाया था कि हमें जजबाती शिकायत नहीं बल्कि हकीकी शिकायत है कि पांची गूजरान गढ़ी कल्ला तहसील सोनीपत गन्नौर के पास वहां पर मुसलमानों के कबरिस्तानों की जमीन रिकार्ड पर बाकायदा दर्ज है 'कबरिस्तान अहले इस्लाम।' उसको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने अलाट कर दिया। उसकी मालगुजारी के वे लोग कागजात लाए, कब्जा लाए लेकिन ऐसा हुआ कि उनको अब तक कब्जा नहीं मिला यह एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई राजेन्द्र सिंह ने भी इससे इत्तफाक किया है।

उपाध्यक्षाः आपका टाइम खत्म हो गया।

चौधरी अब्दुल रज्जाक खांः अच्छा जी मैं वाइंडअप करता हूं और बैठ जाता हूं।

कृषि तथा श्रम मंत्री (चौधरी रण सिंह): डिप्टी स्पीकर महोदया, आज बजट पर बहस को मैंने बड़े ध्यान से सुना

अपोजीशन की तरफ से कई मैम्बर्ज ने बड़े अनुचित तरीके से क्रिटिसीजम किया है लेकिन मुझे इस बात की खुशी भी है कि अपोजीशन की तरफ से और कांग्रेस बेंचिज की तरफ से खासतौर से कई अच्छे सुझाव आए हैं जिनका मैं स्वागत करता हूं। कई साथियों ने सड़कों के काम को खासतौर से क्रिटिसाइज किया और कहा कि सरकार नाजायत खर्चा कर रही है, फिजूल खर्चा कर रही है। उन्होंने कहा कि कहां और किस इलाके में काम होना चाहिए। कृषि क काम, चने के बीज के सम्बन्ध में, ट्रैक्टरों की तकसीम के बारे में, कहा गया है कि यह ठीक तरह से नहीं की जाती। हरिजनों की भलाई के सम्बन्ध में भी कहा गया है कि कोई खास काम नहीं किया गया। ज्यादा अच्छा होता जो काम सरकार ने किए हैं उनकी सराहना की जाती और जो काम रहते हैं उनको प्वाइंट आउट किया जाता। सरकार को बताना चाहिए था कि इनमें यह खामियां हैं इनको इस तरह से दूर किया जा सकता है। मुझे इस बात की खुशी होती कि जो जो काम हो रहे हैं जैसे बिजली की जगह जगह पहुंचाई जा रही है, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, हरिजनों के कल्याण के लिए नई नई स्कीमें चालू की जा रही हैं, कम से कम उनकी तारीफ तो की जाती। लेकिन हमारे विरोधी भाइयों को तो हमारे कामों को देखकर जलन होती है।

एक दो साथियों ने सुझाव दिया उसे सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। श्री सतराम दास बतरा ने कहा कि इस साल चने का बीज ठीक समय पर नहीं मिला। मैं यह बात मानने को तैयार नहीं

हूं। डिप्टी स्पीकर महोदया, सभी जानते हैं कि इस साल चने की फसल बहुत अच्छी खड़ी हुई है और गेहूं की फसल भी बहुत अच्छी है। मुझे आशा है कि इस साल काफी अच्छी होगी। अगर चने का बीज समय पर न मिलता तो यह कैसे हो सकता था कि इतनी अच्छी फसल होती। हमें इस बात का पूरा ख्याल था कि सबको वक्त पर बीज मिले। इस बात को सामने रखते हुए मुख्य मंत्री जी ने डी0सीज0 की कान्फ्रेस बुलाई और ऐग्रीकल्चर क अधिकारियों को भी बुलाया था और सब जिलों की बाबत पता किया था कि वहां बीज की तकसीम हो रही है या नहीं। पिछले कई सालों में चने की फसल अच्छी नहीं रही है इसलिए अब की बार भी डर था और हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि कहीं बीज की कमी न रह जाए मैंने कई जगहों पर खुद इन्क्वायरी की कि वहां चने के बीज की कमी तो नहीं है। जमींदारों के पास कई जगहों पर अपने बीज थे और जहां नहीं थे सरकार ने पूरी सहायता की और यह इसी बात का नतीजा है कि अच्छी फसल हुई। परमात्मा की भी काफी कृपा रही है कि समय पर वर्षा हो गई।

ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में कहा गया है कि ट्रैक्टरों की तकसीम ठीक नहीं हुई। यह बात तो मानी जा सकती है कि स्टेट के अन्दर ट्रैक्टरर्ज की कमी है और यह पूरी की जा रही है। लेकिन यह कहना कि तकसीम गलत हुई है यह बात नहीं मानी जा सकती। इस सरकार से पहले यह काफी शिकायत थी कि

ट्रैक्टरों की तकसीम में गड़बड़ होती है लेकिन जब से यह सरकार आई है कोई गड़बड़ नहीं होती। एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन दरख्वास्त लेती है और फिर उनको स्क्रुटीनाइज किया जाता है और फिर लाटरी सिस्टम द्वारा ट्रैक्टर तकसीम किए जाते हैं इसमें कोई हेराफेरी नहीं हो सकती। बहुत अच्छी तरह से सुपरविजन होता है। जिलेवार दरख्वास्तें सम्भाली जाती हैं और जिलेवार ही लाटरी निकाली जाती है।

एक साथी ने कहा कि जिला महेन्द्रगढ़ में ट्रैक्टर ठीक ढंग से तकसीम नहीं किए गए। मैं तो इस बात को मान नहीं सकता क्योंकि कोटा मुकर्रर किया जाता है हर किस्म के ट्रैक्टर का, डी0टी0 14 ट्रैक्टर का, यू0टौस0 ट्रैक्टर, जीटर ट्रैक्टर का और जो भी इम्पोर्टिड ट्रैक्टर हैं, उनका पहले ही जिलावार कोटा मुकर्रर किया जाता है और जिलावार लाटरी निकली जाती है और किसी जिले के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होता। यह ठीक है कि जितनी मात्रा में, जितनी तादाद में लोगों को ट्रैक्टर चाहिएं, उतनी मात्रा में हम अभी नहीं दे पाये हैं। आहिस्ता–आहिस्ता कमी को पूरा किया जा रहा है। एक शिकायत सरकार के नोटिस में जरूर आयी है कि जो प्राइवेट डीलरज, जो प्राइवेट लाइसैन्स होल्डर्ज, ट्रैक्टर्ज डिस्ट्रिब्यूट करते हैं, जोकि एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन के जरिये से तकसीम नहीं होते, बल्कि प्राइवेट दुकानदार के जरिये से तकसीम होते हैं, वह हेराफेरी करते हैं। मुख्य मंत्री जी ने इसका कोई समाधान करने के लिए एक कमेटी

बनाने का आदेश दिया है और मुझे आशा है कि सरकार उस मामले में अच्छी तरह से विचार करेगी और इसका समाधान होगा। एक बात मिस्टर बतरा ने कही थी कि इम्पोर्टिड डिस्कस जो होती है, हैरोज बनाने के लिए, उनको डर है कि उनकी तकसीम ठीक नहीं होगी। फैब्रीकेटर्ज को दी जायेंगी जोकि ब्लैक में बेंचेंगे, कीमतें बढ़ा देंगे। मुझे यह बात भी जंचती नहीं है क्योंकि डिस्कस को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका भी हमने पहले से अच्छा कर दिया है। थोड़ी डिस्कस फैब्रीकेटर्ज को दी जाएगी, ज्यादा डिस्कस ट्रैक्टर्ज ओनर्ज को दी जायेगी जोकि एग्रो इन्डस्ट्रीज कारेपोरेशन की मारफत दी जायेंगी और उसकी तकसीम मैं कोई नाजायत हेराफेरी नहीं हो सकेगी। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं और इसके अलावा बहुत कुछ नहीं कहना चाहता ..... (विघ्न) मैं तो उम्मीद करता था कि आनरेबल मैम्बरज सड़कों के विस्तार के काम की, बिजली के काम की सराहना करेंगे और सरकार को इस बात के लिए बधाई देंगे तथा कोई लाभदायक सुझाव देंगे। अब मेरी प्रार्थना है कि डिमांडज पास की जायें। धन्यवाद।

श्री फतेह चन्द विजः प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। जो चीजें इन्होंने रैफर की हैं, जिन जिन चीजों का वह जवाब दे रहे हैं उनमे लेबर और एम्प्लायमैंट को रैफर नहीं किया गया है तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि उनसे कहिए कि उनका भी जवाब दें।

उपाध्यक्षाः यह प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। (विघ्न)

VOTING ON DEMANDS FOR GRANT FOR THE YEAR 1970-71

Deputy Speaker: Now, I will apply guillotine and put the various Demands ands to the vote of the House.

Demand No. 9

Deputy Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs. 23684745 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 19- General Administration.

The motion was carried.

Demand No. 12

Deputy Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs. 39431390 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 23-Police.

The motion was carried.

Demand No. 19

Deputy Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs. 41917800 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 31- Agriculture.

The motion was carried.

Demand No. 40

Deputy Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs. 1150000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 95-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research.

The motion was carried.

Demand No. 22

Deputy Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs. 9535830 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 35- Industries.

The motion was carried.

(At this stage Mr. Speaker occupied the Chair)

Demand No. 41

Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs. 16567450 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 96- Capital Outlay on Industrial and Economic Development.

The motion was carried.

Demand No. 23

Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs. 2077920 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 37- Community Development Projects, National Extension and Local Development Works.

The motion was carried.

Demand No. 26

Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs. 40502940 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 42- Multipurpose River Schemes.

The motion was carried.

Demand No. 27

That a sum not exceeding Rs. 35283350 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 43- Irrigation, Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)

44- Irrigation, Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)

The motion was carried.

Demand No. 28

That a sum not exceeding Rs. 16754435 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head Charges on Irrigation Establishment.

The motion was carried.

Demand No. 42

Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs. 53000000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 98- Capital Outlay and Multipurpose River Schemes.

The motion was carried.

Demand No. 43

That a sum not exceeding Rs. 78969570 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 99-Capital Outlay on Irrigation, Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)

The motion was carried.

Demand No. 1

Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs. 11141535 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 9- Land Revenue.

The motion was carried.

Demand No. 2

That a sum not exceeding Rs. 887120 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 10- State Excise Duties.

The motion was carried.

Demand No. 3

That a sum not exceeding Rs. 523360 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 11- Taxes on Vehicles.

The motion was carried.

Demand No. 4

That a sum not exceeding Rs. 3166460 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 12- Sales Tax.

The motion was carried.

Demand No. 5

That a sum not exceeding Rs. 2054420 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 13- Other Taxes

The motion was carried.

Demand No. 6

That a sum not exceeding Rs. 317190 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 14- Stamps.

The motion was carried.

Demand No. 7

That a sum not exceeding Rs. 37200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 15- Registration Fees.

The motion was carried.

Demand No. 8

That a sum not exceeding Rs. 2469850 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 18- Parliament, State Union Territory Legislatures.

The motion was carried.

Demand No. 10

Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs. 4702730 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 21- Administration of Justice.

The motion was carried.

Demand No.11

That a sum not exceeding Rs. 4595080 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 22-Jails.

The motion was carried.

Demand No. 13

Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs. 360620 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 25- Supplies and Disposal.

The motion was carried.

Demand No. 14

That a sum not exceeding Rs. 2201490 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the

course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 26- Miscellaneous Department.

The motion was carried.

Demand No. 15

That a sum not exceeding Rs. 54070 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 27- Scientific Department.

The motion was carried.

Demand No. 16

That a sum not exceeding Rs. 180141883 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 28- Education

The motion was carried.

Demand No. 17

That a sum not exceeding Rs. 33352700 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 29-Medical.

The motion was carried.

Demand No. 18

That a sum not exceeding Rs. 41398850 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the

course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 30-Public Health.

The motion were carried.

Demand No. 20

Deputy Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs. 17394710 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 33-Animal

The motion were carried.

Demand No. 21

That a sum not exceeding Rs. 7704500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 34-Co-operation.

The motion were carried.

Demand No. 24

Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs. 14399000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 38- Labour and Employment.

The motion were carried.

Demand No. 25

That a sum not exceeding Rs. 7938920 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 39- miscellaneous, Social and Development Organizations.

The motion were carried.

Demand No. 29

Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs. 31523700 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 50- Public Works.

Demand No. 30

That a sum not exceeding Rs. 8777850 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head Charges on Buildings and Roads Establishment.

Demand No. 31

That a sum not exceeding Rs. 6489500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 52- Capital Outlay on Public Works.

Demand No. 32

That a sum not exceeding Rs. 83942500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 57- Roads and Water Transport Scheme.

Demand No. 33

That a sum not exceeding Rs. 22185770 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 64- Famine Relief.

Demand No. 34

That a sum not exceeding Rs. 7830500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 65- Pension and other Retirement Benefits.

Demand No. 35

That a sum not exceeding Rs. 37600 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 67- Privy Purses and Allowances of Indian Rulers.

Demand No. 36

That a sum not exceeding Rs. 6564255 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 68- Stationery and Printing.

Demand No. 37

That a sum not exceeding Rs. 9031970 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 70- forest.

Demand No. 38

That a sum not exceeding Rs. 45051325 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 71- miscellaneous us.

Demand No. 39

That a sum not exceeding Rs. 61370 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 76-Other Miscellaneous Compensation and Assignments.

The motions were carried.

Demand No. 44

Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs. 109947900 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 103- Capital Outlay on Public Works.

Demand No. 45

That a sum not exceeding Rs. 869500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 109- Capital Outlay on other works.

Demand No. 46

That a sum not exceeding Rs. 18312400 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 114- Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes.

Demand No. 47

That a sum not exceeding Rs. 200000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 120- Payment of Commuted Value of Pensions.

Demand No. 48

That a sum not exceeding Rs. 389247730 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the charges under head 124- Capital Outlay on Schemes of Government Trading.

Demand No. 49

That a sum not exceeding Rs. 182874200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1970-71 in respect of the

charges under head Loans to Local Funds, Private Parties, Loans to Govt. Servants.

The motions were carried.

Mr. Speaker: The House s now adjourned and will meet again at 2.30 P.M. today.

(12.38 p.m.)

(The House then adjourned till 2.230 P.M. the same day).

APPENDIX

TO

Haryana Vidhan Sabha Debates Vol. I No. 11, dated 27th February 1970 (Evening Sitting)

(See Page (11) 11)

Committee constituted by the Government

***740. Sh. Mangal Sein:** Will the Chief Minister be pleased to State-

(a) The number of the committees which have been constituted by the Govt. with the members of the Vidhan sabha together with the different subjects for which the same were constituted;

(b) The names of the said Committees which were constituted during the years 1968, 1969 and 1970 together with the names of the M.L.A.S. Who are working as Chairmen and Members thereof and the numbers of meetings, if any, held by such committees so far; and

(c) Whether any provision has been made to provide cars and residential bungalows to any of the chairmen of the Committees referred to in part (b) above; if so, the names of the M.L.A.s, if any, who are enjoying such facilities ?

Chief Minister (Sh. Bansi Lal): (a), (b) and (c) A statement comprising Annexure I, II and III is enclosed.

ANNEXURE I

Committees constituted by Government

Sr.	Name of Committees with M.L.A.s as members	Subject for which constituted
1	State Advisory Committee for Public Department	To advise the State Government on departmental matters
2	State Advisory Committee for Home Department	To advise the State Government on departmental matters
3	State Advisory Committee for Town and Country Planning and Urban Estate Department	To advise the State Government on departmental matters
4	State Advisory Committee for Health Department	Ditto
5	State Advisory Committee for Local Government Department	Ditto
6	State Advisory Committee for Housing Department	Ditto
7	State Advisory Committee for Forest and Wild Life	Ditto

	Preservation Department	
8	State Advisory Committee for Department of Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes	Ditto
9	State Advisory Committee for Co-operation Department	Ditto
10	State Advisory Committee for Transport Department	Ditto
11	State Advisory Committee for N.C.C.	Ditto
12	State Advisory Committee for Employment Department	Ditto
13	State Advisory Committee for Development and Panchayat Departments	Ditto
14	State Advisory Committee for Irrigation and Power Department	Ditto
15	State Advisory Committee for Punjab Municipal Act, 1911.	To advise the State Government on the revision of Punjab Municipal Act,

		1911
16	Committee on Estate Punjab Rent Restriction Act, 1949.	To advise the State Government on Estate Punjab Rent Restriction Act, 1949.
17	State Advisory Committee on Taxation	To suggest steps for the simplification of taxation law and procedure an for the rationalization of the taxation structure.
18	State Farm Advisory Committee	To advise the State Government on the progress and implementation of the agricultural production programme
19	State Family Planning Committees	To carry out research and educate public opinion in the field of family Planning
20	State Committee on recruitment of Scheduled Castes in State Services	To review the performance of various Departments of State Government in the matter of recruitment of scheduled castes in the State Services.
21	National Savings State Advisory Board, Haryana	To advise and promote the Small Savings Campaign

22	State Working committee on National Foundation for Teachers Welfare Fund	To provide relief to teachers and their dependents out of Teachers Welfare Fund.
23	Advisory Committee on Northern India and Drainage Act, VIII of 1873	To suggest amendments to the Northern India Canal and Drainage Act VIII of 1873.
24	State Committee for 500th Birth Anniversary of Guru Nanak	To prepare plans and programme for the celebrations of 500th Birth Anniversary of Guru Nanak
25	State sub-Committee for Haryana on Seeds	To review the implementation of the Seed Act, 1966. and working of the Seed Certifying Agency and to inspect the Seed Testing Laboratories.
26	School Health Advisory Committee	To find out ways and means for improving School Health Services.
27	Assets and Liabilities Committee	To advise Government on the divisions of assets and liabilities of the composite Punjab Government amongst the successor States.
28	Economic and resource Committee	To advise Government on tapping new sources of revenue and effecting

		economy in expenditure
29	Boundary Area Committee	To advise Government on the question of inclusion of Hindi-speaking economy areas in Haryana
30	Chandigarh Committee, Haryana	To advise Government on the question of inclusion of Hindi-speaking economy areas in Haryana
31	Standing Committee on Irrigation Department	To examine ways and means for development of irrigation in Haryana
32	Agrarian Reforms Committee	To examine Tenancy Laws and to suggest amendments to these laws.
33	Haryana State Gandhi Centenary Celebrations Committee.	To advise the State Government on Gandhi Centenary Celebrations
34	Committee on Safai Mazdoors and private Scavengers	to enquire into working conditions of safai Mazdoor employed by Local bodies and Private Scavengers working in the State
35	Committee on Wage rates of wages in potteries, ceramic and refractory	To advise Government on fixation of minimum rates of wages in potteries, ceramic

	industries.	and refractory industries.
36	Committee on Wage rates of wages in machine tools, agriculture implements and general engineering industries.	To advise Government on fixation of minimum rates of wages in machine tools, agriculture implements and general engineering industries.
37	Committee on Wage rates in Agriculture	To advise Government on fixation of minimum rates of wages in agriculture.
38	Committee on linguistic minorities	To safeguard the interest of linguistic minorities in Haryana
39	Ravi –Beas Water committee	To prepare Haryana's claim for the allocation of surpluses Ravi-Beas Waters
40	Haryana State Sports Council	To advise government on promotion of sports
41	Board of Industries Haryana	To advise government on grant of industrial
42	Haryana State Flood Control Board	To consider and approval of flood control, drainage and anti-water logging schemes.
43	Board for the revision of District Gazetteers	To revise District Gazetteers.

44	N.C.C. Selection Board of Haryana	To select candidates for pre-commission training/grant of N.C.C. Commission
45	District ad hoc Committee for admitting trainees in the Industrial Training Institutes (one for each of the 17 I.T.I.s)	To select trainees for the Industrial Training Institute in the State
46	District Loan Advisory Committees (one for each District)	To advise the District industries Officer in the matter of grant of loans
47	District ad hoc Committee for the Welfare of Scheduled castes and Backward Classes (one for each District)	To look after the welfare of Scheduled Castes and Backward Classes
48	District Employment Committee (one for each District)	To advise the employment Exchanges in the Districts on problems relating to employment
49	District Agriculture and production Committee (one for each District)	To suggest ways and means to boost agriculture production at district level
50	District co-ordination and Grievances Committee (one for each District)	To ensure the expeditious disposal of complaints/petitions received in the public Officer

		and to tone up the administration at the district level
51	Sub-Division Agriculture and production Committee (one for each sub-division)	To suggest ways and means to boost agriculture production at Sub-Division level
52	Sub-Division Co-ordination and Grievances Committee (one for each sub-division)	To ensure the expeditious disposal of complaints/petitions received in the public Officer and to tone up the administration at the sub-division level
53	Zila Parishad Public Account Committee (one for each Zila Parishad)	To examine and discuss the annual accounts of the Zila Parishad and the audit reports thereon

ANNEXURE II

Sr.	Names of Committee constituted during the years 1968, 1969 and 1970	Names of M.L.As working as Chairmen/Members on these Committees	Number of meetings held	Remarks

1	2	3	4	5
1968				
1	State Advisory Committee for Public Department	1. Sh. Daya Krishan 2. Sh. Amar Chand 3. Sh. hari Singh Saini	Member Do Do	Nil
2	State Advisory Committee for Home Department	1. Smt. Chandravati 2. Sh. rameshwar dass 3.Sh. Daya Krishan 4. Sh. Partap Singh	Member Do Do Do	3
3	State Advisory Committee for Urban Estate Department	1. sh. Kartar Singh 2. Sh. surjit Singh 3. Sh. Kishori Lal 4. Sh. roop Lal Mehta (since died) 5. Sh. Hari Singh Saini 6. Sh. Prabhu Ram	Member Do Do Do Do Do	1

4	State Advisory Committee for Health Department	1. Sh. Lal Singh 2. Sh. Piara Singh 3. Sh. Neki Ram 4. Smt. Sharda Rani 5. Sh. Ganpat rai 6. Sh. Banarsi Dass	Member Do Do Do Do Do	2
5	State Advisory Committee for Local Government Department	1. Sh. Raj Singh 2. Smt. Parssani Devi 3. Sh Harkishan Lal 4. Sh. Ganga Sagar 5. Sh. Kamal Dev Kapil	Member Do Do Do Do	5
6	State Advisory Committee for Housing Department	1. sh. Prem Sukh Dass 2. Sh. Harpal Singh 3. Sh Neki Ram 4. Sh. Mukhtair Singh 5. Sh. Chanda Singh	Member Do Do Do Do	1

7	State Advisory Committee for Department of Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes	1. Sh. Prabhu Singh 2. Sh. Manohar Singh Azad 3. Sh. Gordhan dass 4. Sh. Banwari Lal 5. Sh. Sham Chand 6. Smt. Parssani Devi	Member Do Do Do Do	4
8	State Advisory Committee for Co-operation Department	1. Sh. Surjit Singh	Member	
9	State Advisory Committee for Transport Department	1. Sh. Kishori lal 2. Smt. Sharda Rani 3. Sh. Harkishan Lal 4. Sh. Bhajan Lal 5. Sh. Narian singh 6. Sh. Banwari Ram 7. Sh. Rajinder Singh	Member Do Do Do Do Do Do	
10	State Advisory Committee for employment Department	1. Sh. Harikishan Lal 2. Smt. Shakuntala	Member Do	

11	State Advisory Committee on Taxation	1. Sh. Hari Singh Saini 2. Sh. Fateh Chand Vij 3. Sh. Kishori Lal	Member Do Do	
12	State Farm Advisory Committee	1. Sh. Chanda Singh 2. Sh. Harpal Singh 3. Sh. Piara Singh 4. Sh. Maohar Singh	Member Do Do Do	
13	Haryana State Gandhi Centenary Celebrations Committee.	1. Khan Abdul Gaffar Khan 2. Sh. Ranbir Singh 3. Raj Kumari Sumitra Devi 4. Smt. Parsanni Devi 5. Smt. Chandravati 6. Sh. Ram saran Chand Mittal 7. Sh. sarup Singh 8. Sh. Kartar Singh 9. Sh. Daya Kishan	Member Do Do Do Do Do Do	8

		10. Sh. Roop Lal Mehta (Since died)	Do Do Do	
14	Agrarian Reforms Committee	1. Sh. Ramsaran Chand Mittal 2. Sh. Mukhtair Singh 3. Rajkumari Sumitra Devi 4. Sh. Parabhu Singh 5. Sh. Ram Parkash 6.Sh. Harkishan Lal	Member Do Do Do Do Do Do Do Do	11
15	Committee on Wage rates of wages in machine tools, agriculture implements and general engineering industries.	1. Sh. Banarsi Dass Gupta	Member	8
16	Committee on	1. Sh. Chand Ram	Member	6

	Wage rates in Agriculture			
17	Haryana State Sports Council	1. Sh. Harpal Singh 2. Sh. Partap Singh	Member Do	2
18	Board of Industries Haryana	1. Sh. Rameshwar Dass 2. Sh. Ishar Singh 3. Sh. Mukhtair Singh 4. Sh. Banarsi Dass 5. Smt. Sharda Rani	Member Do Do Do Do	7
19	N.C.C. Selection Board of Haryana	1. Sh. Manohar singh Azad	Member	11
20	Haryana State Flood Control Board	1. Sh. Lal Singh 2. Sh. Piara Singh 3. Sh. Kartar Singh 4. Sh. Manhor Singh 5. Sh. sarup Singh 6. Sh. Hem Raj 7. Sh. Hari Singh Saini	Member Do Do Do Do Do Do Do	3

		8. Sh. Harpal Singh 9. Smt. Parsanni Devi	Do	
21	District ad hoc Committee for admitting trainees in the Industrial Training Institutes (one for each of the 17 I.T.I.s)	1. Ambala (i) Sh. Abdul Gaffar Khan (ii) Sh. Ram Parkash 2. Bhiwani (i) Sh. Banarsi Dass (ii) Smt. Chnadra vati 3. Faridabad (i) Smt. Chnadravati (ii) Sh. Kamal Dev Kapil 4. Gurgaon (i) Sh. Hem raj (ii) Sh. Maohar Singh 5. Hassangarh (i) Sh. Maru singh (ii) Sh. Ganga Sagar 6. Hissar	Member Do Do Do Do Do Do Do Do	These committee meet in the last week of July every Year

		(i) Sh. Gordhan Dass	Do	
		(ii) Sh. Bhajan Lal	Do	
		7. Karnal		
		(i) Sh. Chanda Singh	Do	
		(ii) Sh. Surjit Singh	Do	
		8. Kaithal		
		(i) Sh. Jagdish Chander (since died)	Do	
		(ii) Sh. Piara singh	Do	
		9. Mohindergarh		
		(i) Sh. amir Singh (since died	Do	
		(ii) Sh. Hari Singh	Do	
		10. Narnaul		
		(i) Sh. Ganpat Rai	Do	
		(ii) Sh. Ram Saran Chand Mittal	Do	
		11. Narwana		
		(i) Sh. Neki Ram	Do	
		(ii) Sh. Dass Krishan	Do	

		12. Palwal		
		(i) Sh. Roop Lal Mehta (since died)	Do	
		(ii) Sh. Abdul Razak	Do	
		13. Panipat		
		(i) Sh. Kartar singh		
		(ii) Sh. Ishwar Singh	Do	
		14. Rohtak		
		(i) Sh. Partap Singh	Do	
		(ii) Sh. raj Singh		
		15. Sonepat	Do	
		(i) Sh. Rajinder Singh	Do	
		(ii) Sh. Jaswant Singh		
		16. Sirsa	Do	
		(i) Sh. Poker Ram	Do	
		(ii) Sh. Ram Sukh Dass	Do	
		17. Yamuna Nagar		
		(i) Sh. Rameshwar	Do	

		Dass (ii) Sh. Prabhu Ram	 Do Do Do Do	
22	District ad-hoc Committee for Department of Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes			
23	District Loan Advisory Committees (one for each District)	1. Ambala (i) Sh. Kishori Lal (ii) Sh. Rameshwar Dass 2. Rohtak (i) Sh. Mukhtair Singh	 Member Do	 5

		(ii Sh. Rajinder Singh	Do	9
		3. Karnal		
		(i) Sh. Ishwar Singh	Do	
		(ii Sh. Piara Singh		
		4. Jind		
		(i) Sh. Naryana Singh	Do	
		(ii Sh. Daya Krishan	Do	
		5. Hissar		
		(i) Sh. Pokhar Ram	Do	3
		(ii Sh. Harpal Singh		
		6. Gurgaon	Do	
		(i) Sh. Hem Raj		
		(ii Smt. Sharda Rani	Do	2
		7. Mohindergarh	Do	
		(i) Sh. ram Saran Chnad Mittal	Member	5
		(ii) Sh. Dalip Singh	Do	
			Do	2

			Do	
24	District Employment Committee (one for each District)	1. Gurgaon (i) Sh. Manohar Singh (ii Sh. K.D. Kapil 2. Ambala (i) Dr. Rameshwar dass (ii Sh. Ram Parkash 3. Hissar (i) Sh. Banarsi Dass (ii Sh. Gordhan Dass 4. Jind (i) Sh. Daya Krishan (ii Sh. Bhagtu 5. Karnal (i) Sh. Surjit Singh (ii Sh. Ishwar singh 6. Mohindergarh	Azad Member Do Do Do Do Do Do Do Do Do Do	3 2 2 2 2 1

		(i) Sh. Ganpat Rai 7. Rohatk (i) Sh. Kanwar Singh (ii Sh. Maru Singh	Do Do Do	 3 2
25	State Advisory Committee for Forest and Wild Life Preservation Department	1. Sh. Prabhu Ram 2. Sh Om Parkash Garg 3. Sh. Kartar singh Chokar 4. Sh. Daya Kishan 5. Sh. Harkishan lal 6. Sh. Bhagwan Dass Sehgal 7. Sh. Hem raj Saharawat	Member Do Do Do Do Do Do	2
26	State Advisory Committee for Development and Panchayat Departments	1. Sh. Rajinder Singh 2. Sh. Neki Ram 3. Sh. Kanwar Singh Dahiya 4. Sh. Ram Dhari Gaur	Member Do Do Do	

27	State Family Planning Committees	1. Smt. sharda rani 2. Sh. Surjit singh	Member Do	5
28	State Committee for 500th Birth Anniversary of Guru Nanak	1. Rao Birendra singh 2. Sh. Kishori Lal 3. Sh. Abdul Gaffar Khan 4. Sh. ram Saran Chand Mittal 5. Sh. Teja Singh 6. Sh. Banarsi Dass Gupta 7. Sh. Pokhar Ram 8. Sh. Prem Sukh Dass 9. Sh. Harpal Singh	Member Do Do Do Do Do Do Do Do Do	1
29	Advisory Committee on Northern India	1. Sh. Maru Singh 2. Sh. Om parkash	Chairmen Member	7

	and Drainage Act, VIII of 1873	Garg 3. Sh. Sarup Singh 4. Sh. Daya Krishan	 Do Do	
30	Standing Committee on Irrigation Department	1. Sh. Jaswant Singh	Member	
31	State Sub-Committee for Haryana Seeds	1. Sh. om Parkash Garg	Member	2
32	State Advisory Committee for Punjab Municipal Act, 1911.	1. Sh. Daya Kishan 2. sh. Om Parkash Garg 3. Sh. prem Sukh Dass 4. Sh. Kishori Lal 5. sh. Banarsi Dass Gupta 6. Sh. Kanwar Singh Dahiya 7. Sh. Ram Dhari Gaur 8. Sh. Roop Lal Mehta	Chairmen Do Do Do Do Do Do	29

		(since died) 9. Sh. Malik Chand Ghambir 10. Sh. Fateh Chand Vij 11 Sh. Raj singh Dalal.	 Do Do Do	
33	Committee on Estate Punjab Rent Restriction Act, 1949.	1. Sh. Daya Kishan 2. sh. Prem Sukh Dass 3. Sh. Lal Singh 4. Smt. Sharda Rani	Chairmen Do Do Do	2
34	Assets and Liabilities Committee	1. Sh. ranbir Singh 2. Rao Birendra Singh 3. Sh. R.S.C. Mittal 4. Sh. Maru Singh 5. Sh. Daya Krishan	Chairmen Do Do Do	48

		6. Sh. Harpal singh 7. Sh. Mukhtair Singh 8. Major Amir Singh (since died) 9. Sh. Om Parkash Garg 10. Khan Abdul Gaffar Khan	Do Do Do Do Do Do	
35	Economic and resource Committee	1. Sh. R.S.C. Mittal 2. Sh. Raj Singh Dalal 3. Sh. Mukhtair Singh 4. Sh. Ram Chand	Member Do Do Do	14
36	Chandigarh Committee, Haryana	1. Rao Birender Singh 2. Sh. Ranbir Singh 3. Sh. Ram Saran Chand Mittal	Member Do Do	5

		4. Sh. Mukhtair Singh 5. Sh. Maru Singh 6. Sh. Ram Dhari Gaur	Do Do Do	
37	Ravi –Beas Water committee	1. Sh. Ram Dhari Gaur 2. Sh. Raj Singh Dalal		
38	Board of the Revision of district Gazetteers	1. Sh. Fateh Chnad Vij	member	
39	National Savings State Advisory Board, Haryana	1. Sh. Partap singh 2. Sh. Rajinder Singh 3. Smt. Parsanni Devi 4. Smt. Chandravati	Member Do Do Do	1
40	District Agriculture and production Committee (one for each District)	All M.L.As. of the District		The Committees met once in a month

41	District co-ordination and Grievances Committee (one for each District)	All M.L.As. of the District		The Committees met once in a month
42	Sub-Division Agriculture and production Committee (one for each sub-division)	All M.L.As. of the Sub-Division		The Committees met once in a month
43	Sub-Division Co-ordination and Grievances Committee (one for each sub-division)	All M.L.As. of the Sub-Division		Ditto
44	Zila Parishad Public Account Committee (one for each Zila Parishad)	1. Sh. Prabhu Ram 2. Sh. Ishwar singh 3. Sh. Rajinder singh 4. Sh. Bhajan Lal 5. Smt. Sharda Rani 6. Sh. Hari Singh	Chairmen Member Do Do Do Do	

1970				
45	Boundary Area Committe	1.Sh. Ranbir Singh 2. Rao Birender Singh 3. Sh. Mukhtair Singh 4. Khan Abdul Gaffar Khan 5. Sh. Harpal Singh 6.Sh. Pem Sukh Dass 7. Major Amir Singh (since died) 8. Sh. Harkishan Lal 9. Sh. Neki Ram 10. Sh. Chanda Singh 11. Sh. Kishori Lal 12. Sh. Lal Singh 13. Shg. Bhgatu Ram 14. Sh. Amir Chand (Kakar) 15. Sh. Partap Singh 16. Sh. Balwant Rai	Chairmen Member Do Do Do Do Do Do Do Do Do Do Do	2 This information is up to March, 1970

		Tayal 17. Sh. Mangal sein 18. Sh. Chand Ram 19. Sh. Malik Chnad Ghambir	Do Do Do Do Do Do Do	
46	Committees for providing safeguard to linguistic minorities in Haryana	1. Sh. Harpal Singh	Member	This information is up to March, 1970

ANEXURE III

Except in the cases of following committees 9detail given against them) none of the non-official chairman of the

Committees mentioned in Annexure II has been provided with the State conveyance or residential accommodation.

1	Assets and Liabilities Committee	There is a single Chairman for the two Committees and he has been permitted the use of the State conveyance at public expense. No. residential accommodation has, however, been provided to him by the State Government. * This information is up to February, 1970.
2	Boundary Area Committee	There is a single Chairman for the two Committees and he has been permitted the use of the State conveyance at public expense. No. residential accommodation has, however, been provided to him by the State Government. * This information is up to February, 1970.